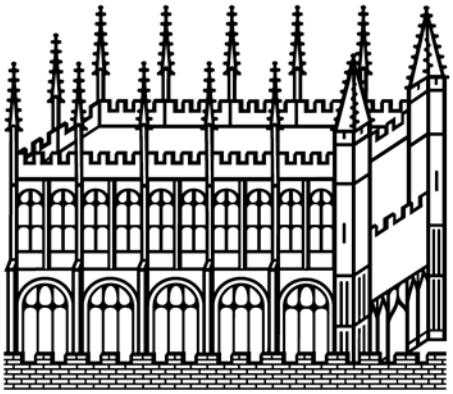


Bodleian Libraries

UNIVERSITY OF OXFORD

This book is part of the collection held by the Bodleian Libraries and scanned by Google, Inc. for the Google Books Library Project.

For more information see:

http://www.bodleian.ox.ac.uk/dbooks



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 UK: England & Wales (CC BY-NC-SA 2.0) licence.

13. D. 74 Hindi Aucht 1

Indian Institute, Oxford.
The Lucknow Sparks Library.
Presented
by
Munshi Newul Kishore.

Śikshaṭṭ-prabandha.

Shukhdeo Parshad

देहाती

पाठशालाओं का

शिक्षक प्रबन्ध

شکشک پربندھ

जो

देहाती अध्यापकों को अति लाभदायक है

जिसको

श्रीयुत विद्या सम्पन्न जनाब जान, सी, नेस्फ़ील्ड साहब बीए

अवध मण्डलीय पाठशालाध्यक्ष की

आज्ञानुसार

सय्यद मुहम्मद हुसेन डिपुटी इन्स्पेक्टर

पाठशालीय ज़िला प्रतापगढ़ ने रचा था

वही

ठाकुर रक्षपाल सिंह मुदर्रिस मदर्सा साहब गञ्ज की सहायता

से पण्डित दीनदयालशर्मा थर्डमास्टर नार्मलस्कूल प्रतापगढ़ ने

देशी भाषा में उल्था किया

लखनऊ

मुन्शी नवलकिशोर के छापेखाने में छापा गया

अप्रैल सन १८८३ ई०

शिक्षक प्रबन्ध

शिक्षा

प्रत्येक समय में प्रत्येक कार्य्य के भले प्रकार से प्रबन्ध पाने के निमित्त नियम और रीति की अवश्यकता है इस हेतु उन मनुष्यों के जानने के निमित्त जोकि अवधदेश में अध्यापक हैं या आगे नियत होंगे यह शिक्षा की पुस्तक रची गई-

दफ़ा १-पाठकों को उचित है कि इस हिदायत-नामा के रीत्यानुसार कार्य्य करें कि भले प्रकार से पूरा २ पद अपनी नौकरी का वह दे सकें जिस से उनके देश की भलाई का फल और उनकी नेक नामी और तरक़्क़ी का प्राप्त हो पाठकों को यह भी उचित है कि अपने देश में विद्या और सज्जनता फैलाने में परिश्रम करना और अपने ग्राम के मनुष्यों की पीड़ा उनके चाल चलन ठीक करने में ध्यान रखना प्रत्येक मनुष्य को उचित है जब कि पाठक इस कार्य्य के निमित्त मासिक पावे भी अपने इस पद को न पूरा करें तो बड़े आश्चर्य

की बात है जितना अधिक इस हिदायतनामा के २
आज्ञाधीन पाठक कार्य्य करेंगे उतनीही ख़ूबी और
भलाई के साथ वह अपने कार्य्य को कर सकेंगे उन
को उचित है कि कोई कार्य्य एक बाल के तुल्य इस २
हिदायतनामा की आज्ञा से घटने और बढ़ने न पावे-
दफ़ा २- प्रकट हो कि अध्यापकों के कार्य्य दो प्रकार
के हैं एक ज़ाती काम दूसरा मिश्रित- ज़ाती वह कार्य्य
है कि जिसका प्रबन्ध मुख्य पाठक की ज़ाति से २
सम्बन्ध रखता है या प्रत्येक दशा में जिसका पूरा २
करना अध्यापक के आधीन है- और मिश्रित वह
कार्य्य है जिस में विद्यार्थी और अध्यापक दोनों का
परिश्रम युक्त है- इन दोनों कामों के भले प्रकार से
पूरा करने पर पाठशाले की तरक़्क़ी और पाठक की २
नेक नामी है- परन्तु ज़ाती काम में हानि होने से २
किसी दशा में दोष से पाठक को बचाव नहीं है और
यह अवश्य सूचित किया जायगा कि उसने अपने काम
के पूरा करने में दिल से आलस्य की

अध्यापकों के ज़ाती काम का ब्योरा

दफ़ा ३- अध्यापक के ज़ाती काम भी दो प्रकार के हैं
प्रथम पाठक के चाल चलन से सम्बन्ध रखता है द्वितीय
पाठशाला के प्रबन्ध से सम्बन्ध रखता है॥

अध्यापकों का ज़ाती कार्य्य जो कि चाल चलन से सम्बन्ध रखता है

दफ़ा ४- पाठक को अवश्य है कि जिस स्थान पर वह नियत हो वहाँ इस प्रकार से चले कि तमाम लोग उस का चाल चलन प्रसन्न करें और किसी मनुष्य को उस-के सत्सङ्ग में अपने लड़कों के रखने में बिलम्ब न हो द्वितीय देहात के लोगों में मुख्यकर पहीदारी या और किसी कारण से आपस में फूट रहती है इस निमित्त अध्यापक की प्रथम कारगुज़ारी यह है कि सब से मिलाप रक्खे किसी एक यथा के साथ न होजाय नहीं तो पाठशाला सुशोभित न होगा जो मनुष्य उसके इष्ट मित्र हैं उन्हीं के लड़के आवेंगे तृतीय पाठक को कभी सर्कारी नौकरी के धमराड से हुकूमत से काम निकालने का इरादा न करना चाहिये हुकूमतका दबाव बेदिली से लोग अंगीकार करते हैं किन्तु लोगोंसे प्यार और मेल मिलाप वो सल्तूक से मिले प्यार का दबाव हुकूमत के दबाव से अधिक होता है और जो काम इस से निकलता है उस से नहीं हो सक्ता चतुर्थ पाठक को प्रत्येक आदमी के पीड़ा और दर्द का साथी होना चाहिये ग्राम के रहनेवालों से बड़े आव भाव से और लड़कों से प्यार से मिले उसका केवल यही काम नहीं है कि लड़कों

को पढ़ा दिया करें किन्तु सज्जनता का प्रचार करना और अच्छी बातों की ओर लोगों को उपस्थित करना और उनके चित्त को नई बातों से जो सर्कार की ओर से उनकी भलाई के निमित्त प्रचलित होती हैं डरते हैं उनकी डर को दूर करना यह मुख्य काम अध्यापक का है यथा देहात की स्वच्छता बिस्फोटक के टीके का लाभ उनको बतलाये और उन बातों से जिस्से वह भय करते हैं उनको अच्छे प्रमाणों से सूचित कर। उनकी भय को दूर करे और जब कभी कोई हैज़े। इत्यादि की बीमारी देहात में फैले तो उनकी दवाई की ओर उपस्थित करे किन्तु आपही दवा बहुत सी पहुँचावे और इस भूल को जो देहात के लोगों के दिल में समाई है कि हैज़ा और बिस्फोटक आदि में दवा न करना चाहिये किन्तु डटके और झाड़। फूँक से उसको दूर करना अत्युत्तम है उनके चित्त से दूर करना उचित है पाठशाला का लाभ और। अवश्यकता सर्कारी प्रबन्ध की उत्तमता और भलाई भोले देहातियों को बतलाना उचित है और विद्या के मुख्य कार्य्य से वह नाकार हों और मनो वाञ्छित से। वह अपने लड़कों के पढ़ाने की इच्छा करें नकि नौकरी और रोटी उत्पन्न करने के लोभ से-

दफ़ा ५-अध्यापक एक ऐसा सर्कारी नौकर है जिसे निर्बुद्धि देहातियों को विना भय एक स्थान पर रहने और बैठने का संयोग होता है और ज़िलअ के प्रत्येक कोने में जिन मनुष्यों ने कभी कोई सर्कारी नौकर न नहीं देखा है उनको भी उसके देखने और मिलने का संयोग होता है देहात के मनुष्यों को उचित है कि उसका भले प्रकार से आदर वो सत्कार करें यदि वह प्यार से उनसे मिले और सर्कारी प्रबन्ध की भलाइयों से उन्हें सूचित करता रहे-

दफ़ा ६-नेक चलने और उठने बैठने के अतिरिक्त पाठक को अपनी शरीर और वस्त्र की स्वच्छता का भी ध्यान रहे पाठशाला में नंगे गाले बैठना या मनुष्यों से उसी भाँति मिलना अपना निरादर करना है उसको अपने काम पर प्रति दिन वस्त्र पहनकर स्वच्छता और गम्भीरता से बैठना उचित है जिस प्रकार से रहेगा वही चाल उसके लड़के अंगीकार करेंगे पाठक को देहात में एक सज्जन का नमूना बनना उचित है कि जो लड़के उसके सत्सङ्ग में रहते हैं वह उसी के कर्मानुसार चलते हैं और उनका बैठना उठना सज्जन के साथ हो-

दफ़ा ७-पाठक को उचित है कि यदि हो सके तो दो चार

प्रतिष्ठित गाँव के रहने वालों को इकट्ठा करके उनकी एक कमेटी नियत करे और उन्हीं के द्वारा और उन्हीं की सहायता से बहुत से काम निकाले यदि यह लोग पाठक के परिश्रम पाठशाले की शोभा लड़कों को विद्यातुर देखेंगे तो अवश्य पाठशाले की शोभा की प्रसिद्धता दूर २ तक करेंगे और इस से अत्यन्त मान पाठशाले का उत्पन्न होगा यह बात भी हो सक्ती है कि इन लोगों से थोड़ा सा चन्दा इकट्ठा कराके पाठक कंगाल लड़कों के निमित्त पुस्तकें मँगायें या कोई समाचार पत्र या स्थान की मरम्मत इत्यादि में सहायता लें जिन मनुष्यों के निमित्त पाठक निवेदन करेंगे वह मेम्बर नियत किये जायँगे और उनके नाम सदर कमेटी से परवाने भेजे जावेंगे-

दफ़ा ८-जिस दिन तातील होवे पाठक को उचित है कि मुख्य उस ग्राम में और देहात के निकट के गाँवों के उन लोगों के पास जिनके लड़के पढ़ने आते हैं या जिनके यहाँ से लड़कों के आने का भरोसा है जाया करे इस से दो लाभ हैं प्रथम यह कि लड़कों की ग़ैरहाज़िरी का कारण प्रकट होगा हाज़िरी अधिक होगी और नवीन लड़के आयेंगे जितना प्यार सत्यता



ईमान्दारी अध्यापक में अधिक होगी उतनेही उस-का मान अधिक होगा और जितना उसका मान अधिक होगा उतनेही उसका पाठशाला शोभाय-मान होगा

दफ़ा ९ (अ)-इन समस्त बातों से बढ़कर पाठक को हाज़िर रहना उचित है क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई पदार्थ ऐसा नहीं है कि पाठशाला को इतना नष्ट कर सके जितना कि ग़ैरहाज़िरी पाठक की ग़ैर-हाज़िरी सर्वथा लड़कों और ग्राम के रहनेवालों की दृष्टि में अनादर रहता है और जहाँ मुदर्रिस की ग़ैर-हाज़िरी में लड़के पाठशाला में इकट्ठा हुये वहाँ नाना प्रकार के बखेड़े उत्पन्न होते हैं और बहुतही शीघ्र मनुष्य अपने लड़कों को पाठशाला जाने से रोक रखते हैं किन्तु लड़के आपही पाठशाले से भागने लगते हैं पाठक की दृष्टि लड़कों और ग्राम के रहने वालों से आपही छिपने लगती है और प्रत्येक से उसको अपने भेद के कहने के भय से दबना पड़ता है और खटके और भभर से उसके चित्त को एक प्रकार की प्रत्येक समय शिथिलता रहती है

(ब)-प्रत्येक पाठक को उचित है कि विद्या की वृद्धि में उपस्थित रहे विद्या की वृद्धि मान का कारण है।

यदि पाठक को उतनेही विद्या की माहात्म्य होजितना कि उसने नार्मल अथवा तहसीली पाठशाला में प्राप्त की है या जितनी सर्कारी शिक्षालय में लड़कों को होती है तो वह और लड़कों को क्योंकर पढ़ा सकेगा क्योंकि वह आपही विद्या का मुहताज है और लड़के उसका क्या दबाव मानेंगे और लोग उसका क्या सत्कार करेंगे पाठकों को विद्या बढ़ाने के लिये पुस्तकालय और समाचारपत्र बहुत सुगम है उनको उचित है कि पुस्तक देखने में आलस्य न करें और पुस्तकों के पठन पाठन से अपनी बुद्धि अधिक करें जब नबीन किताबों के पढ़ाने की आज्ञा हो तो पाठकों को उनको आपही देखके अर्थ ब्योरा अपभ्रंश सूचितकर लेना अवश्य है कि भलीभाँति उनको पढ़ा सकें और लड़कों को यह घमराड न होवे कि श्री आर्य्य अध्यापक साहब भी हमारी भाँति इस पुस्तक में कोरे हैं और यह आपही नहीं जानते हैं हम इन से क्या सीखें लड़कों को भी पुस्तकालय की पुस्तकों और समाचार पत्र के पढ़ने में उपस्थित करना उचित है पुस्तकों के देखने की एक ऐसी बानि है कि जो यह बानि पड़ जाती है फिर बिना उसके चैन नहीं पड़ता—

मुदर्रिसों का मुख्य काम जो कि पाठशाला के प्रबन्ध से सम्बन्ध रखता है

दफ़ा १०-जो कार्य्य नीचे लिखे जाते हैं उनको पूरा करना प्रत्येक दशा में अध्यापक के आधीन है उन में किसी भाँति लड़कों की ग़ैरहाज़िरी ऋतु की ख़राबी इत्यादि के मिस की सुनवाई नहीं है जहाँ यह काम अच्छे प्रबन्ध से समाप्त न होंगे वहाँ भलीभाँति सूचित किया जायगा कि पाठक ने कार्य्य में आलस्य की और जब कि अपने आधीन कामों को उसने सम्पूर्ण नहीं किया तो मिश्रित के कार्य्य के अप्रबन्ध होने का मिस व्यर्थ होगा वह कार्य्य ये हैं प्रथम स्थान की स्वच्छता वो सर्कारी वस्तु इत्यादि द्वितीय रजिस्टर की स्वच्छता ठीक करना वो पठन पाठन की पुस्तकें और चित्र आदि इन दोनों कार्य्यों का समाचार नीचे लिखा है-

दफ़ा ११-प्रथम जिस पदार्थ पर दृष्टि पड़ती है और जिस्से अध्यापक की परिश्रम का प्रसारा किया जाता है वह स्वच्छता है जहाँ स्थान की दीवारों में दीमक छत में जालें पृथ्वी पर गड़हे स्थान के और पास कूड़ा करकट बिछौने पर धूलि दिखाई देती है वहाँ तुरन्त देखने वाले की दृष्टि पड़तेही इस बात का ध्यान हो जाता है कि पाठक ने अपने काम की ओर ध्यान नहीं किया और

पढ़ाने में इसी प्रकार अवश्य मेलापन होगा पाठक को इस बात का ध्यान रहे कि प्रति दिन प्रातः काल पाठशाला में झाड़ू दीजाया करे और कूड़ा करकट दूर फेंका जावे सायङ्काल सम्पूर्ण तख़्तियां और क़लम दो दावात इत्यादि एक नियत स्थान पर रख दीजाया करें और बिछौना लपेट के प्रबन्ध के साथ रक्खाजाय आठवें दिन रविवार को पाठशाले की धरती लिपाई जाय और बिछौना और पढ़ने की पुस्तकें और चित्र इत्यादि धूप में डालकर सुखाये जाँय और गर्द इत्यादि उनकी झार दी जाया करे क्योंकि सरदी और दीमक इत्यादि से वस्तु नष्ट न होवे साल में दो तीनबार इतनी मरम्मत स्थान की करानी अवश्य है जो कि एकमनुष्य से हो जाया करे अर्थात् दीवारों की पोताई और छत का जाला और दीमक छोडाना अथवा छत पटवाना या खपरा ठीक करा देना या इसके विपरीति कार्य्य पाठक बिना डिपुटी इन्स्पेक्टर की आज्ञा करा लेवे और जो कुछ उसमें व्यय होवे वह फीस से सुजरा लेवे-

दफ़ा ९२-जिस समय सर्कारी वस्तु में लेशमात्र मरम्मत की अवश्यकता हो तुरन्त पाठक उसको दो आनातक की फीस से करा लेवे किञ्चित मात्र आलस्य से आगे को अधिक हानि हो जाया करती है पाठक को इस

बात का स्मरण रखना चाहिये कि सर्कारी वस्तु में यदि भूल से किसी प्रकार की हानि होगी तो उसका प्रत्युत्तर वह देगा और उसकी मरम्मत उसके मासिक से कराई जायगी-

दफ़ा १३-जिस समय स्थान या वस्तु में मरम्मत २ की अधिक अवश्यकता हो त्वरित उसके मध्ये एक बिनय पत्र डिपुटी इन्स्पेक्टर के पास भेजना उचित है और उसमें यह भी लिखना उचित है कि कौन २ पदार्थ कितने २ मौल्य के लगेंगे और यदि उस स्थान पर उसके मरम्मत की सामग्री सम्भव न हो तो भी एक २ बिनय पत्र डिपुटी इन्स्पेक्टर के पास भेजना चाहिये-

दफ़ा १४-प्रत्येक पाठक को रजिस्टर और चित्रादि जो नीचे लिखे हैं बहुत स्वच्छ रखने होंगे और २ जिस समय कोई नवीन शिक्षालय नियत होगा तो उसको यह रजिस्टर ज़िला के डिपुटी इन्स्पेक्टर के यहाँ से मिलेंगे उनको समयावधि पर ठीक रखना चाहिये रजिस्टर दाख़िल ख़ारिज १ रजिस्टर हाज़िरी २ रजिस्टर जिसमें परवाना और बिनय पत्रादि की नक़ल रक्खी जाती है ३ समय के बाँट का चित्र ४ सर्कारी वस्तु का चित्र ५ उन विद्यार्थियों के नाम की फ़िहरिस्त जो कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग से अर्थात् श्रेष्ठ कक्षाओं से २

पाठशाला छोड़ते हैं ६ उन पुस्तकों के मौल्य की फ़िहरिस्त जो कि पाठशाला में पढ़ाई जाती हैं ७ मेम्बरान कमेटी के नाम की फ़िहरिस्त ८ तातील की फ़िहरिस्त ९ अध्यापकों के पुस्तकालय की फ़िहरिस्त १० मोआयने की किताब ११

दफ़ा १५-समस्त बातों से अधिक हानि इस बात से समझा की जाती है कि अध्यापक चित्त लगाके रजिस्टरों के घरों को नहीं भरते हैं किन्तु कई दिवस तक रजिस्टर नहीं लिखते प्रति दिवस की हाज़िरी नहीं जोड़ते मास के अन्त में हाज़िरी इत्यादि नहीं जोड़ते जिन पाठकों से ऐसे छोटे २ कामों में आलस्य होती है तो उनसे और काम के करने का क्या भरोसा हो सक्ता है-

दफ़ा १६-पाठकों को उचित है कि जब कोई नवीन लड़का भरती हो या निकल जावे तो उसका नाम पहिली तारीख़ को रजिस्टर दाख़िल ख़ारिज में लिखा जाय तब रजिस्टर हाज़िरी में लिखा जाय इसीप्रकार पहले रजिस्टर दाख़िल ख़ारिज से किया जावे तब रजिस्टर हाज़िरी से नाम निकाला जाय यदि कोई लड़का दुबारा भरती हो तो प्रथम उसका नम्बर पहले घर में लिख के नीचे उसके एक रेखा खींचकर और उनके नीचे उपरी तल नम्बर उस रजिस्टर का लिखा जाय कि दोनों

समय के पढ़ने की अवधि इस लड़के की ज्ञात होसके-
दफ़ा १७-प्रत्येक मास की प्रथम तारीख़ को रजिस्टर
पर नाम स्वच्छ और उपरी तल लिखे जाँय रजिस्टर दा-
ख़िल ख़ारिज के नम्बर बहुत शुद्धता से लिखे जाँय।
उपरी तल नम्बर और प्रत्येक वर्ग के नम्बर अवश्य।
लिखे जाँय तब हाज़िरी और ग़ैरहाज़िरी इत्यादि प्रति
दिन की लिखी जाय प्रत्येक दिन हाज़िरी और ग़ैर-
हाज़िरी का जोड़ बिना नागा लिखा जाय इसमें किसी
प्रकार की भूल और आलस्य न हो जिस दिन महीना
समाप्त हो उसी दिन महीने की हाज़िरी व ग़ैर हाज़िरी।
जोड़ के महीने के जोड़ के घर में रक्खा जाय यदि साह-
यारी जोड़ और प्रति दिन दोनों का जोड़ बराबर आवे तो
स्मरण रखना चाहिये और उन सब का जोड़ कुल जोड़
के घर में लिखी जाय और वह दोनों योग फल तुल्य हों।
तो रजिस्टर शुद्ध है नहीं तो अशुद्ध उचित है कि उसकी
शुद्धता की जाय उसी दिन (सम्पूर्ण वार्षिक पाठशाला लगने)
के घर में लड़कों की अधिक हाज़िरी लिखी जाय यथा।
एक लड़के की जून तक की सम्पूर्ण दिवसीय पढ़ने का
अवसी हैं जौलाई में २५ दिन वह और हाज़िर हुआ तो।
उस ८० में २५ दिन और अधिक किये १०५ हुये और इसी
प्रकार अगस्त में जो हाज़िरी हो १०५ में बढ़ाई जाय और

जिन लड़कों के नाम काटे जाँय उसका कारण कैफ़ियत के घर में लिख दी जाय इसके अतिरिक्त उसी पृष्ठि में १ रजिस्टर के नीचे जो सादी जगह छूटी हुई है उस में छः घर बनाके एक में सम्पूर्ण विद्यार्थी वार्षिक जो भरती हों दूसरे में सम्पूर्ण विद्यार्थी वार्षिक जो ख़ारिज हों तीसरे में सम्पूर्ण फ़ीस वार्षिक जो प्राप्त हो चौथे में संख्या सम्पूर्ण विद्यार्थी वार्षिक जो रजिस्टर में लिखे हों पाँचवे में संख्या दिवसीय वार्षिक जो पढ़ाई हुई हो छठे में औसत हाज़िरी दिवसीय वार्षिक लिखी १ जाय वर्ष के अन्त में इसी का जोड़ मानों सालाना नक़्शा होगा उसकी एक नक़ल डिपुटी इन्स्पेक्टर के सरिश्ते में भेजनी उचित है फ़ीस का हिसाब भी मास के आदि में पाँच दिवस पर्य्यन्त फ़ीस विद्यार्थियों से लेकर त्वरित लिखी जाया करे रजिस्टर के अशुद्धता पर अध्यापक को प्रत्युत्तर देना पड़ेगा-

दफ़ा १८-एक रजिस्टर विनय पत्र इत्यादि की नक़ल रखने के निमित्त बनाना उचित है उस पर प्रत्येक आज्ञा की नक़ल जो पाठक के पास पहुँचे और प्रत्येक विनय पत्र की नक़ल जो अध्यापक भेजे फ़ीस का १ हिसाब जो डिपुटी इन्स्पेक्टर के सरिश्ते में कट जावे अथवा अध्यापक व्यय करे-किताबों की दरख़ास्त १

की नक़ल और हिसाब पुस्तकालय की पुस्तकों के आने जाने का समय प्रत्येक शिक्षा की नक़ल जो डिपुटी इन्स्पेक्टर के सर्रिश्ते से आये प्रत्येक मास के चित्र की नक़ल और प्रत्येक की लिखावट इसके अतिरिक्त जो हो लिखी जाय अध्यापकों की शिकायत पर कि डिपुटी इन्स्पेक्टर के सर्रिश्ते से हिसाब इत्यादि अशुद्ध हुआ अथवा उसके किसी रपोर्ट का प्रबन्ध नहीं हुआ बराबर न होगा उस समय तक कि उसके याद की नक़ल। अपने पाठशाले की बिनय पत्र नक़ल करने की पुस्तक पर सिद्धान्त के वास्ते न रखता होगा॥

दफ़ा १९- इन रजिस्टरों के अतिरिक्त अध्यापक को अवश्य है कि एक चित्र पढ़ाने के समय का बिभाग। करके शिक्षालय में लटका रक्खे और उसमें अवश्यकता के हेतु और अध्यापकों के संख्या के द्वारा अध्यापक। उदला बदल कर सक्ता है॥

दफ़ा २०-एक चित्र सर्कारी वस्तुओं का भी पाठशाला में लटकाया रहे और उस पर यथा मेज़, कुरसी, बिछौना पढ़ाने की पुस्तकें इत्यादि जो जो वस्तु डिपुटी इन्स्पेक्टर के सर्रिश्ते से अध्यापक के पास पहुँचे तुरन्त उसी दिन लिख ली जाय और जो वस्तु टूटी फूटी या बेकार हों उसके निमित्त लिख के डिपुटी इन्स्पेक्टर को दौरा के समय पर

दिरवा के उस पर उक्त महाशय के हस्ताक्षर करावे और जब किसी वस्तु की इच्छा हो तो उसी चित्र से देखि के तारीख़ उसके पहिले इसी वस्तु के पाने के निमित्त और कैफ़ियत उसके बिघ्न हो जाने के जिसके कारण वह वस्तु फिर माँगी गई है लिखी जावे जिस समय तक। पाठक उस वस्तु के दूर कर देने की कैफ़ियत डिपुटी इन्स्पेक्टर के दौरा के समय हस्ताक्षर न करा लेवेगा कोई वस्तु न मिलेगी - चारज देने के समय दूसरे पाठक को उसी सूचीपत्र की एक नक़ल डिपुटी इन्स्पेक्टर के सर्रिश्ते में भेजना उचित है डिपुटी इन्स्पेक्टर के सर्रिश्ते में भी एक नक़ल उसकी रहेगी नीचे लिखी हुई वस्तु समय पर और अवश्यकता के हेतु डिपुटी इन्स्पेक्टर के सर्रिश्ते से मिलेंगी यथा टाट, कुरसी, मेज़, तिपाँई, नायब इत्यादि के वास्ते सन्दूक़, भूगोल के चित्र, रजिस्टर सब प्रकार के, पठन पाठन की पुस्तकें, वह चित्र जो कि पुस्तकों के पढ़ाने के निमित्त इन्स्पेक्टरी से आते हैं, मापने इत्यादि के यंत्र, काला तिरपाल ॥

दफ़ा २१- एक चित्र और पाठशाला में लटकाया रहेगा उस पर वर्ष* भर में जितने विद्यार्थी तृतीय और चतुर्थ वर्ग अर्थात् अपर प्राइमरी से ख़ारिज हुये हों उनके नाम

* विदित हो कि सर्रिश्ते तालीम का वर्ष १ अप्रैल से आरम्भ होता है और ३१ मार्च को समाप्त होता है १२

लिखे जाँय ताकि बिना परिश्रम स्मरण हो जाय कि कितने विद्यार्थियों ने इस पाठशाला के विद्या प्राप्त किया है और नियत समय में पढ़ाई समाप्त हुई या नहीं और किस कारण से उन्होंने पाठशाला त्याग किया है और अब कौन उद्यम करते हैं मेम्बरान कमेटी की फ़िहरिस्त पुस्तकों के मौल्य का सूचीपत्र और तालीमों का सूचीपत्र प्रत्येक वर्ष नवीन बनाई जायगी या वह डिपुटी इन्स्पेक्टर के सरिश्ते से मिलेंगे अथवा अध्यापक आपही लिख के वर्ष के आरम्भ में उनको शिक्षालय में लटका दें॥

दफ़ा २२-(अ) प्रत्येक मास के आरम्भ में गत मास का एक चित्र और २५ मार्च को वार्षिक चित्र बना के डिपुटी इन्स्पेक्टर के सरिश्ते में भेजना उचित है यह चित्र निकट के डाकख़ाने या सरिश्ते के चपरासियों के द्वारा अथवा जिस भाँति सुगमता हो भेजे जाँयगे इन सब रजिस्टरों और चित्र आदि के नमूने इस पुस्तक के अन्त में लिखे हैं॥

(ब) अध्यापक को पुस्तकें बेचने के निमित्त निवेदनपत्र के यथोचित जिसका नमूना इस पुस्तक में लिखा है। डिपुटी इन्स्पेक्टर के सरिश्ते से मिलेंगी और दो आना फ़ी रुपया कमीशन बिक्री पर पाठकों को देके शेष मौल्य उनकी भविष्यत मास के मासिक से लिया जावेगा पाठकों

को उचित है कि विद्यार्थियों को पुस्तक मोल लेने में
उद्यत करवें क्योंकि विना पुस्तक के पहिले तो उनको
पढ़ने की हानि होगी द्वितीय दो एक की देखा देखी पु-
स्तकें न लेंगे यदि डिपुटी इन्स्पेक्टर के सरिश्ते से पुस्तकों
के मिलने में शिथिलता हो तो पाठक दौरा के समय डिपुटी
इन्स्पेक्टर से इस समाचार को निवेदन करे परन्तु जब तक
पुस्तकों के स्कूल का दिनयपत्र नक़ल करने के पुस्तक में
तारीख़ समेत न होगी अध्यापक के वर्तान की कुछ सुन-
वाई न होगी-

दफ़ा २३-पढ़ाने की पुस्तकें और चित्र आदि जो पाठशा-
लों में दिये जाते हैं उनके विघ्न न होने की अध्यापक को
अवश्य ध्यान रहे जिस समय पुस्तकों के जिल्द उखड़
जाँय त्वरित उनके बनवाने के निमित्त निवेदनपत्र डिपु-
टी इन्स्पेक्टर के यहाँ भेजा जावे अथवा अध्यापक आपही
बनवा लेवे और वस्तु बहुत बचाव से काम में लाई जावें
तो उनके विघ्न होने का लेश मात्र भमर नहीं है-

दफ़ा २४-समाचार पत्र की वार्षिक जिल्दें उद्यत करा
ली जाया करें मोल्य उनका अध्यापक की फ़ीस से
देना उचित है रद्दी और कूड़े की भाँति समाचार पत्र
पाठशाले में न फेंक दिये जाँय-

मिश्रित कार्य्य के वर्णन में

दफ़ा २५-अब पाठक के मुख्य कार्य्य के संक्षेप वर्णन के पश्चात् मिश्रित कार्य्य का ब्योरा नीचे लिखा है यह भी दो प्रकार का है प्रथम कक्षा के ठीक होने वो पठन पाठन इत्यादि के वस्तु से सम्बन्ध रखता है द्वितीय पढ़ाने का नियम-

वर्ग का ब्योरा

दफ़ा २६-वर्ग नियत करने का मुख्य मूल अध्यापक का कार्य्य है इस निमित्त पाठकों को इस की ओर बहुत ही ध्यान रखना उचित है-जब कोई पाठशाला नवीन नियत होतो अठारह वर्ष की अवस्था तक के लड़कों को जो पढ़ना चाहे भरती कर लेना उचित है परन्तु दो वर्ष पश्चात् फिर पाँच वर्ष से कम और चौदह वर्ष से अधिक अवस्था के लड़के दो अन्त के वर्गों में किसी प्रकार न भरती किये जाँय अधिक अवस्था के लड़कों के पढ़ने का अभ्यास नहीं होता और उनकी ग़ैरहाज़िरी से और लड़कों के चित्त पर उसका चिन्ह उत्पन्न होता है-

दफ़ा २७-वर्ग नियत करना अंक गणित के अभ्यास से इच्छा करे पुस्तकों के पढ़ने के द्वारा असम्भवहै कि देशी पाठशाले के पढ़े हुये लड़के नाम के निमित्त संस्कृत इत्यादि की पुस्तकें समाप्त किये हों परन्तु उन

को उच्च वर्ग में भरती करके अंक गणित और सर्कारी पाठशालाओं की पुस्तकें उस वर्ग के अनुसार सिखाना असम्भव है इस निमित्त अंक गणित के अभ्यास से। दफ़ा बनाई जाय॥

दफ़ा २८-थोड़े २ लड़कों की वर्ग बनाना किसी दशा में उचित नहीं है जितनेही वर्गों की संख्या अधिक। होगी उतनेही अध्यापक का समय बटेगा अन्त के एक वर्ग के अतिरिक्त और किसी वर्ग में किसी दशा में फूट अच्छा नहीं है देखने से विदित हुआ है कि। जितनेही वर्ग ठीक बनेगी और रीत्यानुसार होगी उतनेही कार्य्य में सुगमता और लड़कों के पढ़ने का अभ्यास अधिक होगा जब वर्ग बनाई जाय तो तुरन्त नवीन और पुराने लड़के पाठ में समान कर दिये जाँय॥

दफ़ा २९-जो पाठशाला दो तीन वर्ष से नियत हो वहाँ एक नियत अवस्था के लड़के प्रत्येक वर्ग में होना उचित है छोटी वर्ग में बड़ी अवस्था के लड़कों के देखने से अवश्य यह सूचित हो सक्ता है कि या। तो इन लड़कों के पढ़ाने में परिश्रम नहीं होता अथवा केवल दिखाने के निमित्त आज बिठला दिये हैं या उच्च वर्ग के लड़के धोखा देने के निमित्त अब इस में गणना किये जाते हैं इन सब बातों के अतिरिक्त बड़े लड़के।

दबाव भली भाँति नहीं मानते उनकी देखा देखी ५
उनके वर्ग के छोटे लड़के ढीठ होते हैं उच्च वर्ग में
भी अधिक अवस्था के लड़के जब बहुत दिन तक ५
भरती रहते हैं तो उनको अभ्यास नहीं रहता है और
वह बहुत बेदिली और परिश्रमों से किसी २ दिन पाठ-
शाला में आजाते हैं उनकी देखा देखी और लड़कों ५
को भी बेदिली होती है इस कारण अच्छे अध्यापकों
को सदैव इस बात का ध्यान रहता है कि अन्त के वर्गों
में नवीन और थोड़ी अवस्था के लड़के सदैव भरती ५
होते रहें और नियत समय में उनको उच्च पद मिला करे
और उच्च वर्ग में पहुँचकर उनके नाम काटे जाँय-जितनी
इन बातों के आधीन अध्यापक काम करेंगे उतने ही म-
नुष्य पाठशाले का आदर सत्कार करेंगे क्योंकि मनुष्य
समझेंगे कि पढ़ाई एक नियत समय में समाप्त हो जाती
है बड़ी भूल अध्यापकों की यह है कि नाम ख़ारिज कर
ते हुये भय करते हैं और यह ध्यान करते हैं कि इन वि-
द्यार्थियों के निकल जाने से पाठशाला में लड़कों की ५
कमी हो जायगी उनको स्मरण रहे कि जितने लड़के ५
तुरन्त २ उच्च वर्ग से निकलेंगे उस से अधिक विद्यार्थी
भरती होते जाँयगे इसके अतिरिक्त बीस लड़कों का
हाज़िर रहना और चित्त से पढ़ना पचास रजिस्टर में

लिखे हुये से अच्छा है वर्ग का बाँधना अध्यापक की बुद्धिमानी की दलील है-

दफ़ा ३०-प्रति दिन उपरी तल वर्गों को पाठशाला में बिठाना उचित है-

विद्या प्राप्त करने की ठीक वस्तु

दफ़ा ३१-लड़कों के भले प्रकार से बैठने के पश्चात् अध्यापक का कार्य्य यह है कि ध्यान से देखिले कि सब विद्यार्थियों के पास पढ़ने की वस्तु अर्थात् वर्ग की पुस्तकें तख़्ती, क़लम, दावात, सिलेट, और कापियाँ, विद्यमान हैं सब से अधिक तख़्ती और क़लम दावात की आवश्यकता है किसी वर्ग में यदि कोई लड़का बिना इसके विद्यमान होगा तो वह अवश्य अपना समय विघ्न करेगा कोई लड़का चाहे किसी वर्ग का हो पाठशाला में भरती नहीं किया जायगा जब तक उसके पास तख़्ती और क़लम दावात विद्यमान न हो और प्रति दिन जब वह पाठशाला में आये तो प्रथम अध्यापक को यह देख लेना उचित है कि उसके पास क़लम दावात और तख़्ती उद्यत है कि नहीं जब तक वह इन पदार्थों को अपने पास न उद्यत करले चाहे उस समय लिखने का समय हो अथवा न हो उसको कभी कार्य्य आरम्भ करने की आज्ञा न दीजाय-जो अध्यापक पुस्तकों से लड़कों

को पढ़ाना आरम्भ करते हैं वह बड़ी भूल करते हैं सदैव अक्षर और संयुक्ताक्षर अथवा स्वर व्यञ्जन और बारह खड़ी और गिनती तख़्ती अथवा काले पाट पर सिखाना उचित है-

दफ़ा ३२- वर्ग की पुस्तकों का भी प्रत्येक लड़के के पास विद्यमान होना अवश्य है पाठक को उचित है कि लड़कों को पुस्तक मोल लेने की चाह दिलावे परन्तु यह भी चाहिये कि पुस्तक के न होने के कारण उनके पढ़ने में विघ्न न होने पावे किन्तु जो मनुष्य अत्यन्त कंगाल हैं और वह पुस्तक नहीं मोल ले सक्ते वह एक सादी कापी अपने पास उद्यत करें और उस पर प्रति दिन का पाठ लिखलिया करें उसमें पाठ भी उनको अधिक याद होगा लिखने का भी अभ्यास होगा और हानि भी न होगी।

दफ़ा ३३- यदि पञ्चम वर्ग के विद्यार्थी अर्थात् लोअर आइमरी के लड़के तख़्ती पर स्याही की जगह खरिया अथवा छूई मिट्टी दावात में डालकर क़लम से लिखें तो अत्युत्तम है उसमें प्रथम तो हाथ और वस्त्र आदि विद्यार्थियों के मैले नहीं होते द्वितीय अंक गणित लगाने के समय संख्या मिटाने की अवश्यकता पड़ती है तो स्याही के लिखे हुये अक्षर मिट नहीं सक्ते दूसरे खरिया स्याही से अधिक चलती है और लड़कों का

हाथ बहुत दौड़ता है यदि सिलेट और पिन्सिल न हो तो उचित है कि खरिया अथवा छूई मिट्टी के क़लम अर्थात् बत्ती बनाके उसी से लड़के अंक गणित लिखा करें इस में कम दुःख होता है और समय अधिक बचता है परन्तु इस बात का बहुत ही ध्यान रहे कि इमला लिखने के समय लड़के क़लम के अतिरिक्त बत्ती से कभी न लिखें इसी प्रकार सिलेट पर पिन्सिल से इमला लिखना उचित नहीं है ॥

दफ़ा ३४-जब वर्ग और पढ़ने की वस्तु सब ठीक हो जाँय तो अध्यापक को एक यह भी देख लेना उचित है कि लड़कों के हाथ मुँह और वस्त्र आदि स्वच्छ हैं यदि ऐसा न हो तो प्रथम उनको यह आज्ञा दी जाय कि हाथ मुँह धोके स्वच्छ कर आवें यदि कपड़े मैले हों तो उनके धुलाने की चाह दिलाई जाय शुचि के लाभ बताये जाँय इसके अनन्तर पढ़ाना आरम्भ करें।

दफ़ा ३५-जिस प्रकार डिपुटी इन्स्पेक्टर परीक्षा लेते हैं उसी भाँति से प्रति दिन पढ़ाना उचित है यदि इसका स्मरण न रहेगा तो कभी लड़के उद्यत और निपुण न होंगे बहुधा अध्यापकों का नियम है कि प्रति दिन की पढ़ाई और वर्ग बनाने की ओर कुछ ध्यान नहीं रखते किन्तु देशी पाठशाला की भाँति दो२ चार२ दिन

लड़के जुदा २ और अपने पास बुलाकर पढ़ाया करते हैं इस दशा में न तो लड़कों को बराबर हाज़िर होने का ध्यान रहता है और न उद्यत और उपस्थित होते हैं -

दफ़ा ३६- इस बात का बहुतही ध्यान रहे कि लड़कों में पूछने और दूसरे की तरवती देखने की बानि न पड़ने पावे यह एक ऐसी विघ्न करनेवाली है कि जहाँ लड़कों में पड़ जाती है फ़िर उनको किसी प्रकार अपनी समझ और बुद्धि पर भरोसा नहीं होता और एक के अशुद्ध होने से वर्ग भरके उत्तर अशुद्ध हो जाते हैं यदि सब अपनी २ बुद्धि के बल से उत्तर देने में अभ्यास करें तो दो चार उत्तर अवश्य शुद्ध हों -

दफ़ा ३७- जिस पदार्थ के सिखाने में अधिक परिश्रम उचित है उसके निमित्त अधिक समय देना चाहिये यथा लिखना और अंक गणित यह अधिक सिखाना चाहिये पढ़ने की अपेक्षा यह बात भली भाँति सूचित हुई है कि जो अध्यापक आलसी और अपरिश्रमी होते हैं वह अपना दोष उतारने के निमित्त कि लड़कों के माता पिता यह न कहें कि लड़का पाठशाला में कुछ नहीं सीखता पुस्तक का पाठ प्रति दिन पढ़ाते चले जाते हैं और इसके पीछे लड़कों को छोड़ देते हैं कि वह दिन भर उसे रटा करें ऐसी दशा में केवल यही विघ्न

नहीं है कि वह कठिन पदार्थ अर्थात् अंक गणित २ इत्यादि नहीं सीखते किन्तु इसमें यह भी हानि उत्पन्न होती है कि पाठशाला में कोलाहल होता है और लड़के एकही पदार्थ को रटते २ उकता जाते हैं-

दफ़ा ३८-जहाँ वर्ग अधिक और अध्यापक कम हैं। वहाँ पढ़ाने का ऐसा प्रबन्ध करना उचित है कि किसी समय किसी वर्ग के लड़के बेकार न बैठने पावें जब पाठक एक वर्ग को पढ़ाता हो तो दूसरे वर्ग के लड़कों को कोई ऐसा काम देना चाहिये कि जिसमें वह आपही लगे रहें यथा यदि तृतीय वर्ग को पढ़ा रहा है तो चतुर्थ वर्ग के लड़कों को यह आज्ञा दे कि कोई पत्री लिखें और पञ्चम वर्ग के लड़के नक़ल करें और छठीं वर्ग के लड़कों को अंक गणित अथवा शब्द काले। पाट पर लिख दे कि वह उसे लिखें या याद करें सप्तम वर्ग के लड़कों को अक्षर और गिनती पहाड़ा। लिखने की आज्ञा दे-

दफ़ा ३९-(अ) यह भी ध्यान रहे कि जब एक वर्ग के लड़के पढ़ते हों तो और वर्गों को ऐसा काम दिया जाय कि जो चुप चाप हो सका हो देखने से इस की भली भाँति निश्चय हुई है कि जब लड़के दो। चार बेकार रहते हैं तो पढ़ने की ओर चित्त नहीं लगाते

हैं बड़ी बुद्धिमानी अध्यापक की यह है कि किसी प्रकार लड़के बेकार न बैठें ऐसी दशा में प्रथम तो परस्पर बातें करके अपना समय नष्ट करेंगे और औरों का ध्यान बटायेंगे दूसरे पाठशाला में हल्ला होगा तीसरे अल्प काल में पाठशाला छोड़ देंगे चित्त का यही गुण है कि बेकारी से दिल बन्य होता है और नवीन बातों के प्राप्त करने की ओर दिल लगता है। अब यदि लड़के बेकार न बैठाये जाँय और उनको नवीन बातें सिखाई जाँय तो अवश्य पाठशाला में हाज़िरी अधिक होगी और पाठशाला सुशोभित होगा-

(ब) अध्यापकों को जो शिक्षायें अवध देश के साहेब इन्स्पेक्टर बहादुर की नियत की हुई जोकि पाठशालाओं के शिक्षा में लिखी हैं उसके विषय में अत्यन्त ध्यान रहे उन शिक्षाओं को हम नीचे लिखते हैं-

(१) सातवीं वर्ग में जब छठीं वर्ग के योग्य विद्यार्थी हों चढ़ा दिये जाँय उनके चढ़ाने के निमित्त कोई समय नियत होना अवश्यक नहीं-

(२) सातवीं वर्ग को छोड़कर और वर्ग के विद्यार्थी केवल एक बार वर्ष में अर्थात् दिसम्बर महीने में बड़े दिन की छुट्टी के प्रथम उच्च वर्ग में चढ़ा दिये जावें-

(३) जब तक किसी विद्यार्थी के पास उस वर्ग की पुस्तकादि सामग्री न हो जिस वर्ग में वह चढ़ाया जावेगा तब तक वह उस वर्ग में नहीं चढ़ाया जावे। अथवा वह कापी पर अपना पाठ लिख लिया करे-

(४) कोई विद्यार्थी उच्च वर्ग में न चढ़ाया जावे जबतक कि वह अपनी वर्ग में अंक गणित और लिखना पढ़ना इतना कि वह उच्च वर्ग के योग्य समझा जावे यथोचित न सीख ले-

(५) कोई विद्यार्थी पाठशाला में भरती न किया जावे जब तक कि उसके पास तख़्ती दावात और उस वर्ग की पुस्तकें जिसमें वह भरती होगा न हो-

(६) लिखना सीखने में केवल क़लम और तख़्ती का प्रचार होना अवश्य है-

(७) प्रति दिन एक घराटा लिखने की शिक्षा होनी चाहिये-

(८) भूगोल पुस्तक से कराठ कभी न याद कराया जावे किन्तु समय २ में चित्रों से उसका अभिप्राय सिखाया जावे-

(९) अंक गणित की शिक्षा में विद्यार्थियों को उत्तर निकालने में विशेषकर सहल और सुगम रीति अवश्य बतलाई जावे-

(१०) एक वर्ग के विद्यार्थी दूसरे वर्ग के विद्यार्थियों से न मिलने पावें-

(ज) सरकुलर नम्बरी ४५/२०-७ तारीख़ ६ जनवरी सन् १८८१ ई० अवध देशीय पाठशालाओं के इन्स्पेक्टर के नियत किये हुये के द्वारा जोकि साकेत शिक्षान्वय में लिखा है मूल कैथी की शिक्षा लड़कों को न दी जायगी जब तक कि वह नागरी पढ़ने की अभ्यास उसे न हो और कैथी यदि पढ़ाई जाय तो देशी पाठशाला की भाँति उसकी शिक्षा न हो किन्तु शुद्ध कैथी जिसकी पुस्तकें वर्णमाला आदि उद्यत हैं पढ़ाई जाँय और कैथी के पढ़ाने में जो शिक्षा वर्णमाला के अन्त में लिखी गई हैं उनका ध्यान रहे-

ग्राम के रहनेवालों और विद्यार्थियों के चित्त में पढ़ने के अभ्यास उत्पन्न करने की यत्न

दफ़ा ४०-यह बात भली भाँति सिद्ध हो चुकी है कि देहात में कदाचित् १०० मनुष्यों में दस मनुष्य ऐसे होंगे जिनको मनो बाञ्छित से अपने लड़कों के पढ़ाने की अवश्यकता है और मनुष्यों को न अवश्यकता है न इच्छा और न बुद्धि है ऐसे मनुष्य जभी अपने लड़कों को अपने कार्य्य से जुदा करके पाठशाला में जाने देंगे कि जब उनको कुछ लाभ प्रकट होगा इसकारण पाठकों को उचित है कि पढ़ने का लाभ उस लड़के के माता पिता पर सूचित करे और उसको वह पदार्थ सिखाने में अधिक परिश्रम करे जिसका भाव उसका माता पिता जानता

हो अथवा उसके काम के योग्य हो यथा वे अध्यापक अत्यन्त भूल करते हैं जो बनिये के लड़कों को बिनाकिसी नियत इच्छा के उर्दू फ़ारसी पढ़ाते हैं यदि कल्पना करें कि वह विद्या पढ़ भी गया तो मानों ठीक करने के स्थान उसको नष्ट करना है क्योंकि अब वह बैल लादने को कभी प्रसन्न न करेगा और किसी प्रकार की सहायता उसकी उसके माता पिता को न मिलेगी इसके अतिरिक्त अपनी भाग्य के बल से नौकरी करके कुछ उत्पन्न करे या थक के और विवश होके फिर बैल लादे किसी प्रकार का और काम उससे नहीं हो सक्ता और यदि उसके लड़के को अल्प काल में कुछ हिन्दी और अवश्यक रीतें अंक गणित लगाने के सिखला दी जाँय तो यदि वह पाठशाला की शिक्षा समाप्त भी न करता तो भी अपने उद्यम की अवश्यकता मिटा सक्ता था और बहुत दिन तक अपने घर के कार्य्यों से जुदा न रहता यह देख के अवश्य था कि और लोग भी सेंत की विद्या जो देशी पाठशालाओं से बहुत उत्तम है सर्कारी पाठशाला में पढ़ाते और गुरु को चार आना महीना देना बहुत जानते इसी प्रकार कायस्थों के लड़कों को मसौदा लिखना और स्थूल क़लम से अक्षर स्पष्ट बनाने की न प्रकृति डालनी चाहिये

उसको पाठशाला से दूर करना है - किसानोंके लड़कों की रसीद, पट्टा, कुबूलियत, खेतों की माप, लगाने, और बिसार के ब्याज इत्यादि के अंक गणित में निपुण न करना मानों उनका समय नष्ट करना है-

दफ़ा ४१ - इस दफ़ा का यह अभिप्राय न सूचित करना चाहिये कि प्रत्येक ज़ात और उद्यम के लड़कों को २ अलग २ उनकी चाह और अवश्यकता के अनुसार २ शिक्षा हो वर्ग बाँधने के बिपरीति उनकी शिक्षा के समय कोई बात न की जाय अगर यह ध्यान रहे कि जिस बात की उस लड़के को अधिक अवश्यकता हो अथवा उसके कार्य्य के योग्य हो उस पदार्थ में वह लड़का विशेष कर निपुण हो - पढ़ाने के समय या उसके पश्चात उसको उस पदार्थ के पढ़ने की और इच्छा दिलाई जावे और उस मुख्य पदार्थ में उससे अधिक परिश्रम लिया जाय और जाति और उद्यम के बिपरीति एकप्रकार की शिक्षा सबको देना किसी भाँति किसी प्रकार गुणदायक और हितकारी नहीं हो सक्ती-

दफ़ा ४२ - संक्षेप यह कि जब लड़का पाठशाला में भरती होतो प्रथम उसको उसकी अवश्यकता के हेतु शिक्षा देनी उचित है बड़ी भूल अध्यापकों की यह है कि वह लड़कों को बिशेष कर नौकरी करने के योग्य बनाते हैं।

नहीं उनको अपने उद्यम के भली भाँति पूरा करने केयो-
ग्य बनाना उचित है-जिस पदार्थ की लड़कों के माता पिता
को अवश्यकता है यदि उसी पदार्थ में निपुरा होंगे तो अवश्य
मनुष्य पाठशाला की कीर्ति कायश करेंगे और उनको अपने
लड़कों को पाठशाला में भेजने की रुचि उत्पन्न होगी-
दफ़ा ४३-यह बात भली भाँति सूचित हुई है कि माता पि-
ता की रुचि लड़कों के पढ़ने के निमित्त हितकारी नहीं है
किन्तु किसी २ दशा में लड़कों की रुचि उनके माता पिता के
रुचि के बिपरीति होजाती है इस कारण लड़कों को अभ्यास
डालना अवश्य है-उसकी यतें यह हैं और यह भली भाँति
सूचित की गई हैं इसमें एक बाल के तुल्य अन्तर नहीं है-
दफ़ा ४४-कहानी और खेल की भाँति विद्या सिखानाउत्त-
म है कि लड़कों का चित्त खेल कूद की ओर अधिक लगता
है और खेल कूद में बहुधा या तो इस मित्रों से तुल्यता प्राप्त
करने का या बढ़ जाने की इच्छा करते हैं यथा गोलियों गच्ची-
फ़ा का खेल है या कहानी का और या ध्यान से कोई अनुमान
निकालना यथा डिठियारी और पहेलियाँ बूझना यह सब
बातें सर्कारी पाठशालाओं में भी विद्यमान हैं यथा वर्गबाँध
के सब लड़कों को खड़ा करना और नम्बरवार प्रश्नकरना और
जोबताये उसको उत्तर देना इसमें और किसी बाज़ी के
जीतने में कुछ अन्तर नहीं है पढ़ने की पुस्तकों और

इतिहास के पाठको कहानी की भाँति उन्हें सुनाना और उनसे कहलवाना कहानी कहने और सुनने के अवश्य तुल्य है अंकगणित का उत्तर निकालना डिठियारी और बूझपहेली से कम नहीं है यह सब बातें हँसी ख़ुशी लड़कों से कराई जाँय परन्तु यदि मिश्री का शरबत उनको दवा के नामसे दिया जाय तो कुछ आश्चर्य्य नहीं है कि उसके पीने में वह अवश्य मुँह बनायेंगे और चित्त बहुत कम लगायेंगे-

दफ़ा ४५-विद्यार्थियों को परस्पर प्रश्नोत्तर करते रहने की चाह दिलाई जावे इससे उनकी विद्या हरी भरी बनी रहेगी और उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी-

दफ़ा ४६-इन सब बातों के अतिरिक्त यदि एक नियत समय तक यही रीति रक्खी जाय तो लड़कों का दिल भलीभाँति लगेगा और उच्च पद घटने और बढ़ने का और अंकगणित और इतिहास याद करने के आगे पहेली और कहानियों का स्वाद फीका पड़ जायगा कारण यह है कि मनुष्य का चित्त नवीन पदार्थों पर अधिक लगता है उनको उचित है कि नवीन बातें उनके चित्त लगने के निमित्त बताई जाँय। कभी २ डण्डा पेलना और दौड़ धूप का परिश्रम उनसे लिया जाय कभी २ चमन बनाने और काश्तकारी के परिश्रम में वह युक्त किये जाँय इसलिये पाठशाला के हाता में या उसके आसपास किसी स्थान पर क्यारियाँ बनानी अवश्य है इससे हर्ष और

कभी २ लड़कों का काम दोनों लाभ प्राप्त होंगे इन बातों के अतिरिक्त महीना में एक आध बार लड़कों को इकट्ठा कर के कोई इतिहास या राजनीति की बातें सुनाई जाँय - या कभी उनसे किसी बात को घर से लिख लाने की आज्ञा दी जाय और उसके सुनने के समय अध्यापक उनकी अशुद्धियों को बतायें कभी २ पाठ याद करने की शिथिलता, समाचार पत्र इत्यादि के पढ़ने से दूर की जाय इस प्रकार के पढ़ने से लड़कों को पाठशाला कारागार न ज्ञात होगा, किन्तु खेल कूद का स्थान उसको ध्यान करके अत्यन्त हर्ष से पाठशाला में हाज़िर रहेंगे -

दफ़ा ४७ - जो पाठक दराड और कठिनता से लड़कों को पढ़ाना चाहते हैं वह मानों अपने पाठशाले की जड़ को उखाड़ते हैं ध्यान रखना चाहिये कि यह कठिनता और दराड किसी काम के निमित्त अच्छा नहीं है किन्तु वह कार्य्य खुशी से कराया जाय मारने के अतिरिक्त भय और इसके विहीन और बहुत बातें उत्पन्न होती हैं पढ़ने के निमित्त जो यत्न ऊपर लिखी गई हैं और कुमार्ग त्यागने के निमित्त जो उपदेश और परस्पर चित्त से उतर जाने का भय मारने से अधिक है

दफ़ा ४८ - इन सब कामों के पीछे जो ऊपर लिख आये हैं नीचे की शिक्षा को ध्यान और भली भाँति चित से पढ़ाना उचित है -

पढ़ने का नियम

दफ़ा ४८—पढ़ने की पुस्तकें या पाठ चाहे गद्य हो या पद्य अध्यापक को इस प्रकार पढ़ाना उचित है कि प्रथम सब विद्यार्थियों को उद्यत करे उसके पश्चात् जितना पाठ देना हो और उसको शुद्ध २ और स्खलित शब्दों से उनको आप पढ़ के सुनाये फिर उसी प्रकार थोड़ा २ उन से पढ़वावें और शब्दों के अर्थ पूछता जाय यह कभी न ध्यान करना चाहिये कि उर्दू-और हिन्दी जोकि लड़कों की भाषा है उसके सब शब्दों के अर्थ उनको ज्ञात होंगे किन्तु सैकड़ों शब्द ऐसे प्रत्येक पुस्तक में आवेंगे जिसके अर्थ से वह अजान होंगे इस निमित्त पाठ पढ़ाने के समय प्रति शब्द का अर्थ अपभ्रंश उल्लेख आदि पूछता और बताता जाय जहां तक हो सके उन शब्दों के अर्थ लड़कों को प्रति दिन के बोल चाल में बताये जाँय एक शब्द के स्थान पर जिसके अर्थ से लड़के अजान हों दूसरा शब्द उसी प्रकार का उनको बता देना मानों दोहरा बोझा लड़कों पर डालना है एक उस मुख्य शब्द को याद कराना दूसरे उस अर्थ के शब्द को याद कराना और फिर इस से लाभ कुछ भी न हुआ उस लड़के को उसका अभिप्राय कुछ भी न प्राप्त हुआ यदि शब्द से अभिप्राय पढ़ने

वाले की समझ में न आये तो उसके अर्थ सुगम रीति से चाहे किसी उदाहरण से अथवा वाक्य से कि जिस से लड़के उस शब्द के अभिप्राय को समझ जाँय और जहां तक हो सके शब्दों का उल्लेख उसके दूसरे शब्दों के अर्थ से उसका अन्तर या जो शब्द लड़के जानते हों उनका मुख्य अर्थ बताना उचित है पाठ पढ़ाने में इसका ध्यान रहे कि शब्दों की शुद्धता और उसके अभिप्राय की उत्तमता और उसका लाभ उनके चित्त में जम जाय - यदि कोई बात इतिहास के सम्बन्धी हो तो वह विषय सुगम रीति से बताना उचित है इस भाँति विद्यार्थियों को इतिहास भली भाँति याद होगा देश, नगर, नदियां, पहाड़ इत्यादि के यदि नाम आ-जाँय तो चित्र में उन स्थानों को दिखा दिया करें इस प्रकार भूगोल में भी सहायता मिलेगी व्याकरण के सम्बन्धी शब्द विचार और वाक्य रचना के प्रश्न। जिन वर्गों में कि व्याकरण पढ़ाया जाता हो उन से करना चाहिये और उनके रूप और अन्वय अवश्य पूछे जाँय इस बात का बहुत ही ध्यान रहे कि लड़के पढ़ते समय अपनी २ पुस्तकों पर दृष्टि जमाये रहें जहाँ से एक लड़का छोड़े उसी स्थान से दूसरा लड़का आरम्भ करे शब्दों की शुद्धता की ओर अध्यापकों को

कभी ध्यान नहीं रहता यह इतना बड़ा विघ्न का घर है कि जिस से पढ़ने की कीर्ति नष्ट हो जाती है शब्दों के शुद्धता का सब से अधिक ध्यान रहेगा कि और हिल के पढ़ने की प्रकृति अत्यन्त बुरी है - पद अलग २ शुद्ध २ जिस प्रकार बातें करते हैं पढ़ना उचित है शब्द नम्र हो जहाँ पद टूटे वहाँ विद्यार्थियों को साँस लेने का स्वभाव डाला जाय पुस्तक बिना समझे पढ़ना मानों ऐसा है कि उस ने कुछ भी नहीं पढ़ा है प्रथम इस बात का ध्यान रहे कि प्रयोजन भली भाँति चित्त में जम जाय तब आगे पढ़ाना चाहिये-

दूसरा का नियम

दफ़ा ५० - लिखना पढ़ने से अधिक कठिन है क्यों कि उसके निमित्त मार्ग अवलोकन को पुस्तकें सामने विद्यमान रहती हैं और लिखने में एक २ शब्द और शब्द चित्त से बिचार के लिखना पड़ता है - इस कारण से लिखाने में पढ़ने से बहुत परिश्रम लेना उचित है यदि एक घराटा पढ़ना हो तो दो घराटा लिखना जो मनुष्य पुस्तक याद करने में अत्यन्त निपुण हैं उन कम विद्यावालों से जो लिखने में निपुण हैं प्रति दिन के कार्य्य में बढ़ नहीं सक्ते प्रत्येक कार्य्य में लिखने का काम पड़ता है और पढ़ने का बहुत कम इसलिये

लड़कों को लिखने का अभ्यास अधिक डालना जाय-

दफ़ा ५१- इमला लिखाने का उत्तम नियम यह है कि प्रथम वह वाक्य जिस को इमला की भाँति लिखाना अंगीकार है चित्त का अग्र लड़कों का कर-के शुद्ध २ पढ़ जाय उसके अनन्तर उन को इस प्रका-र बिठावे कि जिस से सुगम हीं वह लिख सकें और ए-क दूसरे की पट्टी वह कभी न देखने पावें उसके पश्चा-त् एक २ पद तीन तीन बार स्वच्छ २ बनाये और बहुत ध्यान रहे कि लड़के प्रथम पद को सुनि के ।् चित्त में स्मरण करलें तब लिखवें परन्तु त्वरित और स्पष्ट लिखवें और किसी प्रकार किसी शब्द को न भूलें-भूलने में यह हानि है कि एक लड़के के बोलने से औरों का चित्त बटता है और जब बहुत से इसी प्र-कार भूलने और बोलने लगते हैं तो न तो अध्याप-क को कुछ ज्ञान होता है कि लड़कों ने कहां तक लिखा और न लड़के समझते हैं कि अध्यापक क्या कह रहा है प्रत्येक पद के बतलाने में एक पूरी साँस का ठहराव होना उचित है और लड़कों को इमला लिखने का अभ्यास इतना होना चाहिये कि तीन बार के बोलने में वह उस पद या शब्द को जो बोला जाता है लिख सकें शब्दों को मिटाना और

पास २ लिखवना बहुत ही नष्ट भ्रष्ट है जिस शब्द में कुछ सन्देह होजाय उसे काट देना उचित है-

दफ़ा ५२- जब लिखवाना समाप्त हो जाय तब लड़के पट्टियाँ बदल लें और अध्यापक उन सब शब्दों को अथवा जो नवीन शब्द हों उन को अक्षर २ बोल जाय और लड़कों को आज्ञा दे कि जो पट्टियाँ उन के पास हैं उन को शुद्ध करते जाँय या अध्यापक आप ही सब की पट्टियाँ लेकर शुद्ध कर दे और जो अशुद्धियाँ हों उनके नीचे चिन्ह बनाये जाँय उसके पश्चात सब अशुद्धियाँ जोड़ के प्रत्येक पट्टी पर उस के अशुद्धियों का जोड़ लिख दिया जाय और प्रत्येक लड़के को अपनी २ पट्टियाँ दे दी जाँय उसके अनन्तर अध्यापक यह आज्ञा दे कि जिन २ विद्यार्थियों की पट्टियाँ शुद्ध हों वह खड़े हों जितने लड़के इस प्रकार के हों उनका नियत शब्दों से गुण वर्णन करे उसके पीछे यह आज्ञा दे कि जिन के में एक शब्द अशुद्ध हो वह खड़े हों फिर जिन में दो अशुद्धियाँ हों वह खड़े हों इसी प्रकार सब लड़कों को खड़ा करे और अधिक शुद्धता पर हर्ष और अधिक अशुद्धियों पर पश्चात्ताप प्रकट करता जाय-

दफ़ा ५३- लिखवने में केवल शुद्ध ही का ध्यान उत्तम

नहीं किन्तु स्पष्ट और तुरन्त लिखने का अभ्यास करना यह दो बातें और बड़ी आवश्यक हैं और यह सब से अधिक और नियम के साथ लिखाने से प्राप्त हो सकती हैं-

दफ़ा ५४ - यदि कुछ समय बचे तो जो शब्दों लड़कों ने अशुद्ध लिखा है उन को अपनी २ पट्टी पर दश। या पाँच बार लिखने को आज्ञा दे और यह अत्यन्त उत्तम है कि दूसरे दिन फिर वही बातें लिखवाई जाँय और ध्यान से देखा जाय कि कल से कितनी जल्दी और अपरिश्रम से लड़कों ने लिखा है यदि इस में कुछ अन्तर न हो तो स्मरण करना चाहिये कि लड़के काम में चित्त नहीं लगाते हैं अतएव उसके ठीक करने में परिश्रम करना उचित है-

सिलेट पर लड़के कभी न लिखने पावें क्योंकि पेंसिल से अक्षरों की स्पष्टता में अन्तर आजाता है छोटी वर्ग के और बड़ी वर्ग के लड़के तख़्ती पर लिखा करें और यदि हो सके तो बड़ी वर्ग के लड़के काग़ज़ पर लिखें - वर्ग के विचार से सूक्ष्म और स्थूल क़लम का ध्यान रहे-

अङ्क-गणित सिखाने का नियम

दफ़ा ५५ - लिखने के पीछे सम्पूर्ण आदमियों के निमित्त अंक गणित बहुत लाभ दायक है और इस

में बुद्धि की तीव्रता की आवश्यकता है इस कारण इस में यह भी लाभ है कि चित्त को आनन्द प्राप्त करता है और तीक्ष्णता प्राप्त होती है और चित्त बढ़ता है - इस हेतु इसकी शिक्षा में परिश्रम और प्रेरणा करना उचित है इस कारण यह सिखने से भी बहुत कठिन है इस निमित्त इस के सिखाने में और इसके अभ्यास में अधिक समय देना आवश्य है प्रथम लड़कों को उद्यत करें और यदि कोई नवीन नियम बताया जाता हो तो उसको स्वच्छ २ वर्णन करे और विशेष कर विद्यार्थियों के चित्त में यह बात भली भाँति उपस्थित कर दे कि इस नियम के सिखाने से क्या अभिप्राय निकलता है इस से क्या लाभ होगा और किस २ काम यह आवेगा - इस के पश्चात् उनके सन्मुख कान्ते पाट पर आप ही इस नियम की क्रिया कर जाय और उन को उस क्रिया का अभिप्राय आवश्यक समझता जाय और उन के स्मरण से सहायता लेता जाय और जहाँ तक वह क्रिया कर सके हों उन्हीं से कराई जाय उसके अनन्तर उन को सिलेटें लेके अभ्यास करने को आज्ञा दे और दो चार प्रश्न उसी प्रकार के और वैसे ही कठिन उन से लगवाये-

दफ़ा ५६ - विद्यार्थियों के पास सिलेट का भी अंकगणित

के निमित्त विद्यामान होना अवश्य है सिलेट न हो तो पहीपर कूई मिट्टी का अथवा खरिया का क़लम अर्थात् बत्ती अवश्य हो स्याही से अंक गरिणात लगाने का अभ्यास डालना अत्यन्त नष्टाश्रष्ट है-

दफ़ा ५७- प्रश्न चाहे काले पाट पर लिख दिये जाँय अथवा उनकी सिलेटों या कापियों पर लिखा दिये जाँय अथवा अंक गरिणात की पुस्तक उन्हें दे दी जाय कि उसी के प्रश्न वह अभ्यास करें यदि प्रत्येक दशा में ध्यान रहे कि लड़के आपस में मदद न लें और। दूसरों की पट्टियों पर दृष्टि गोचर न रक्खें उत्तर त्वरित निकालें-क्रिया स्वच्छ लिखें और मिटायें नहीं जे प्रश्न दिये गये हों जो लड़का उनको लगाता जाय प्रथम उत्तर देखि के और प्रश्न से मिला के अपने चित्त में विचार ले कि उत्तर ठीक है या नहीं उसके पश्चात् वह अपनी २ सिलेट अध्यापक के पास रखते जाँय और जब सब पट्टियाँ आजाँय तो अध्यापक उनको पलट दे और प्रथम नम्बर की सिलेट से देखना आरम्भ करे शुद्ध अलग और अशुद्ध अलग करके उसके अनन्तर अंक गरिणात की जाँच की जाय क्रिया की स्वच्छता जल्दी के निमित्त एक नियत प्रकार से प्रत्येक का गुरण बरनि करे-

दफ़ा ५८- देहात में विशेष प्रकार से जो अंकगणित लगाने का नियम प्रचलित है अर्थात् डेवढ़ा सवैया कण्ठ वर्ग के अनुसार भली भाँति अभ्यास करना चाहिये इस में प्रथम तो यह लाभ है कि अंकगणित कण्ठ और त्वरित लग सक्ता है दूसरे यह कि चित्त बहुत दौड़ता है और तुरन्त ही अंकगणित समझ में आजाता है और अंकगणित के नियम अभ्यास होजाने पर बड़ी सहायता इन से मिलती - इस के अतिरिक्त देहात में केवल इतने ही अंक गणित की आवश्यकता पड़ती है जो उन रीतों से निकल सक्ते हैं और देहातियों को जो पाठशाला में पढ़ते भी हैं अन्त को अपने काम में इन्हीं रीतों से काम पड़ता है और उन को वह सुगम है उन रीतों से जानते हैं जो पाठशाला में सिखवाये गये थे और जिन के लिये सिलेट अथवा पट्टी पर त्रैराशिक जमाने की आवश्यकता है अत एव ऐसी दशा में मानो अंकगणित का नियम उत्तम है परन्तु सम्पूर्ण मनुष्यों में उसका निरादर होता है इस हेतु अध्यापकों को उचित है कि उत्तम कार्य और लाभ दायक बातों के सिखाने में परिश्रम करें और लड़कों को पाठशाला में पढ़कर दूसरे स्थान पर और कार्य की बातों की सीखने की आवश्यकता न रहे-

दफ़ा ५८- विद्यार्थियों से उस प्रकार के प्रश्न और उन शब्दों और रीतों में किये जाँय जो वहाँ विशेष कर रेहातों में प्रचलित हों- और अधिकता से वैसे ही प्रश्न किये जाँय जैसे कि उस स्थान पर आवश्यकता हो बनियों को क्रय विक्रय और ब्याज किसानों को अन्न की डेढ़ी सवाई- ज़मीदारों को ब्याज बहा भागों की बाँट इत्यादि की अधिक आवश्यकता रहती है और जब वह अपनी भाषा में लड़कों से कोई अंकगणित के सम्बन्धी प्रश्न करते हैं और लड़के पाठशाला के यद्यपि वह प्रश्न सुगम है परन्तु उन के बोलने से कुछ समझ नहीं सक्ते और लगाने से हिच जाते हैं तो पाठशाला की उत्तम पढ़ाई का फल नहीं प्राप्त कर सक्ते- और यह सब चूक अध्यापक की है कि उनको जिस प्रकार पुस्तक में लिखा है उसी प्रकार नियम बताते चले जाते हैं परन्तु उन नियमों का अभिप्राय नहीं बताते- यह सब भूल अध्यापकों में है कि एक ही प्रकार से त्रैराशिक पञ्च राशिक जमा के लड़कों से प्रश्न करते हैं और लड़के जब तक उस प्रकार से न सुनें कभी नहीं समझ सक्ते कि क्या करें और उत्तर नहीं निकाल सक्ते यदि नाना प्रकार की रीतें फेर फार के प्रति दिन उन से प्रश्न किये जाँय तो उनको यह कठिनता

कभी नहो और देहाती पाठशाला की पढ़ाई को कठिन और व्यर्थ होने का दोष कभी न लगायें- दफ़ा ६०- जो प्रश्न गुणा और भाग के द्वारा निकल सकते हैं वे त्रैराशिक पञ्च राशिक की रीति पर जो फैलाव दिखाई देता है न लगाये जावें ध्यान रहे कि सुगमरीति छोड़ कर कठिन रीति कभी न अंगीकार की जाँय भिन्न और दशमलव के सिखाने में एक ऐसी भूल अध्यापक करते हैं कि जिस से एक विघ्न उत्पन्न होता है वह यह है कि अत्यन्त फैलाव और कठिन रीति भिन्न निर्म्माण करने को और पूर्णाङ्क को भिन्न में मिला के लड़के अंगीकार करते हैं और फिर यह नहीं समझते कि हम किस लिये करते हैं और इसका अभिप्राय और लाभ क्या है यथा वह यह नहीं जानते कि बारह पवन्नेया पवनेबारह अथवा १२+$\frac{3}{4}$ और १२$\frac{3}{4}$ यह एक ही पदार्थ हैं और जिस आवश्यकता में बारह पौने को काम में लाया जाता है उसी आवश्यकता में बारह पूर्णाङ्क का $\frac{3}{4}$ को भी काम में लाये भिन्न का यह नियम वर्षों सीख २ के उनका समय व्यर्थ होता है और उसका फल कुछ भी प्राप्त नहीं होता यदि भिन्न सीखने का प्रयोजन उसकी क्रिया उन को ज्ञात हो तो उसका अभिप्राय निकल सक्ता है फिर उस में इतना

फैलाव करते हैं कि जो जोड़ एक मिनट में लग सके उस के हर बढ़ाने के कारण १५ मिनट में भी नहीं लग सके इस बात का बहुत ही ध्यान रहे कि दूरांकि भिन्न के साथ न मिलाये जाँय किन्तु जोड़ने की संक्षेप रीति अंगीकार की जाय-

दफ़ा ६१- प्रत्येक नियम के साथ उसकी क्रिया की आवश्यकता प्रथम लड़कों के चित्त में उपस्थित करदी जाय कि वह उसको आवश्यकता के समय क्रिया कर सकें और उसका चित्त दौड़े - केवल नियम लड़के भली भाँति जानते हैं परन्तु जहां पुस्तकी प्रश्नों के विपरीत अथवा किसी और शब्दों में उन से कोई प्रश्न किया गया तो वह शोक सागर में डूबते हैं कि किस नियम से इस को लगायें-

दफ़ा ६२- एक और सब से बड़ी हानि और बड़ा घोर विघ्न लड़कों में यह होता है कि उनको अपनी बुद्धि पर निश्चय नहीं आता - उत्तर निकाल के वह सदैव इस बात का बिचार करते हैं और आशा में रहते हैं कि दूसरे की पही देखि के अपना निश्चय कर लें-इसमें बहुधा ऐसा होता है कि अशुद्ध पही को देखिके जिन का उत्तर शुद्ध है वही भी दूसरी बार क्रिया करते हैं और बहुधा शुद्ध उत्तर को मिटा के अशुद्ध उत्तर

लिख लाते हैं और यह तो अवश्य है कि मिलाने के आशा में लड़के घराटों पट्टियाँ लिये बैठे रहते हैं इस दशा में फैलाव के विघ्न के सिवाय लड़कों को अपनी समझ पर भरोसा नहीं होता और दूसरे की सहायता की आशा सदैव उन को रहती है बहुत ध्यान रहे कि लड़के प्रत्येक नियम के मूल को समझें और अपनी२ बुद्धि के अनुसार उत्तर निकालें-

दफ़ा ६३- जो प्रश्न बहुधा लड़कों का अशुद्ध हो उस को काले पाट पर अध्यापक को आप ही समझाना चाहिये अथवा जिन का शुद्ध है उन लड़कों को उस के समझाने की आज्ञा दे और जिस नियम के कारण वह प्रश्न अशुद्ध हो गया हो उस विघ्न की ओर सब को ध्यान दिलाना चाहिये और उसी प्रकार के दो चार प्रश्न उसी समय क्रिया सहित लिखवाये जाँय-

दफ़ा ६४ - घर पर अभ्यास के निमित्त कापी पर कठिन प्रश्न लिखवा देना अत्युत्तम है ताकि अपने २ स्थान पर लड़के उसके लगाने में अपनी २ बुद्धि को व्यय करें-

भूगोल

दफ़ा ६५- इसकी शिक्षा में अध्यापक विशेषकर दो प्रकार की भूल करते हैं प्रथम तो बिना इस के

लाभ से उन को और उनके माता पिता को बतायें उस को रटाना आरम्भ करते हैं - दूसरे पुस्तक कण्ठाग्र याद कराते हैं प्रथम भूल से तो यह हानि उत्पन्न होती है कि पाठशाला व्यर्थ पदार्थों के सिखाने के लिये बदनाम होता है विद्यार्थी यह सुन २ के कि इस विद्या से कुछ लाभ नहीं इस पर कुछ ध्यान नहीं करते हैं उनके माता पिता पुस्तक मोल लेने में आलस्य करते हैं और दूसरी भूल के कारण लड़कों को ज़बानी पुस्तक याद करने का कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता किन्तु वह अल्प काल में पुस्तक की वाक्य भूल जाते हैं और उत्तर देने में प्रश्न के मुख्य अभिप्राय की ओर ध्यान नहीं करते केवल पुस्तक की वाक्य याद आ जाने की ओर ध्यान दौड़ाते हैं वास्तव में भूगोल और इतिहास यही दो पदार्थ ऐसे हैं कि यदि एक विशेष नियम से पढ़ाये जाँय तो पाठशाले की शोभा और विद्यार्थियों की अभिलाषा बढ़ाने का कोई काम इस से उत्तम नहीं है इस कारण जब कभी कोई नियत समय मिले तो अवश्य है कि मेम्बरान कमेटी और विद्यार्थियों के पिता से भूगोल के लाभ वर्णन किये जाँय यथा उनसे कहे कि बड़े २ यात्री और परिक्रमा किये हुये मनुष्यों का आदर सत्कार

होता है और प्रत्येक मनुष्य उनका गुणानुवाद गाते हैं यह आदर केवल इस कारण है कि संसार के ब्योरा से वह निपुण होते हैं और लोग उन से उनके यात्रा का ब्योरा सुनने की अभिलाषा करते हैं वह प्रत्येक देश की समा वहाँ के मनुष्यों की दशा रूप उनके जीवन का चाल उनके भोजन वो भूषण वो वस्त्रादि वहाँ जो २ पदार्थ उत्तम हैं उनकी यह सब दशा बर्णन करते हैं यदि लड़के यह सब बातें घर में बैठे २ जान जाँय तो क्या उत्तम बात है अतएव इस विद्या का पढ़ना क्या उनकी समझ और चित्त को न बढ़ायेगा - या यथा जो भूगोल नहीं पढ़े उन से पूछे कि भला चीन का नाम तुम ने सुना है प्रकट है कि वह कहेंगे हाँ फिर उस से पूछे कि वह किस ओर है उस में नगर कौन २ से हैं कुछ जानते हो कि चीन के बुद्धिमान कौन २ उत्तम पदार्थ बनाते हैं अथवा यह कहा जाय कि भला यहाँ से यदि जगन्नाथ जी जाँय तो किधर से जाँय कौन २ नगर और नदियाँ इत्यादि राह में पड़ेंगी सवारियाँ किस२ प्रकार की मिलेंगी जो मनुष्य भूगोल से अजान हैं वह अवश्य इन सब बातों का उत्तर न देंगे फिर जो भूगोल जानते हैं उन से यह सब प्रश्न किये जाँय

उनके उत्तर देने से और स्थान परिलेख अर्थात् न-क़शे में दिखाने से उन विद्यार्थियों को अवश्य हर्ष और अज्ञान लोगों को उसके जानने का चित्त चाहेगा।

दफ़ा ६६- भूगोल याद कराने का यह नियम उत्तम है कि प्रश्नों के द्वारा उसकी शिक्षा हो और परिलेख अधिक काम में लाया जाय पुस्तक केवल इस निमित्त लड़कों के पास रहे कि यदि कभी कोई बात भूल जाय तो उसे देखलें यह बहुत बड़ी भूल है कि बिना परि-लेख में देखे और बिना समझे विद्यार्थी पुस्तक से वह शब्द वर्षों परिश्रम करके याद करते हैं जिनके न कुछ अर्थ हैं न प्रयोजन इस प्रकार की शिक्षा में लड़कों का समय व्यर्थ जाता है कुछ उन को अभि-लाषा नहीं होती और मनुष्यों में पाठशाला की शि-क्षा की तुच्छता होती है वह उत्तर देते हैं कि यमुना, घाघरा, सोन, कोसी यह सब गंगा के सहायक हैं इस का क्या अर्थ है और उसके याद करने से क्या लाभ है पढ़ने की पुस्तकों में जहाँ कहीं पहाड़, नदी, देश। इत्यादि के नाम आयें वह परिलेख में दिखाये जाँय-

इतिहास

दफ़ा ६७- इतिहास के शिक्षा में भी ऊपर लिखी हुई भूल होती हैं और ठीक उसी प्रकार हो सक्ती हैं अवश्य

है कि उसकी शिक्षा कहानी कहने और सुनने की भाँति हो संक्षेप अर्थात् राजाओं के नाम, घराना बैठने का सन् मरने का सन् उसके समय के सङ्गमकेसंक्षेप ब्योरे विद्यार्थियों की कापी पर लिखवा देना चाहिये उसको लड़के जिह्वाग्र कर डालें और उसका संक्षेप वर्णन कहानी की भाँति उन के चित्त में रहना चाहिये दो बादशाहों के इतिहासी ब्योरा और उनके समय में जो २ उदला बदल हुआ हो उसका सामना करके अन्तर पूछना और बताना चाहिये-

व्याकरण

दफ़ा ६८- यद्यपि पुस्तक में जो सिद्धान्त दिये हैं उनको याद करना अवश्य है परन्तु उत्तम नियम यह है कि किताब जो पढ़ाई जाती हो उसीके साथ २ उसकी शिक्षा हो प्रति दिन व्याकरण और पाठ की पुस्तकें साथ २ पढ़ाई जाँय- जहाँ शब्दों के अर्थ बताये जाते हैं उसी के साथ ही उनके रूप आदेश अन्वय उल्लेख आदि पूछना उचित है-

लेख और घसीट पढ़ना

दफ़ा ६९- प्राचीन शिक्षा का नियम अर्थात् देशी पाठशाला की शिक्षा का फल और प्राप्त लेख था और अब भी जहाँ पाठशाले हैं और उसका अभ्यास

मनुष्यों को है तो उसका विशेष और अन्न का फल यह है कि विद्यार्थी लेख लिख सकें आगे फ़ारसी संस्कृत पढ़ाई जाती थी और अब सम्पूर्ण देहाती उर्दू और देवनागरी को विशेष शिक्षा जानते हैं और यही एक पदार्थ है जिसके निमित्त बारह २ वर्ष मौलवियों को मासिक दिया जाता है और अत्यन्त कठिनता से यह सिखवाया जाता है – अर्थात् बीसों पुस्तकें उर्दू फ़ारसी की आद्योपान्त समाप्त कराई जाती हैं और यह नहीं होता कि प्रथम ही से इस कार्य को सिखाना आरम्भ करें मक़तबों में तो बारह वर्ष तक पढ़ते २ कुछ लिखना आही जाता है और नहीं तो अभ्यास हो जाता है कि जब काम पड़ता है तो अल्प परिश्रम से वह मनुष्य लेख लिखने में चल निकलता है – परन्तु पाठशाला में उन मनुष्यों के लड़के अल्प काल पढ़ते हैं कि जो बारह वर्ष तक अपने चित्त से पढायें यहाँ वह लड़के आते हैं जो कठिनता से तीन वर्ष तक ठहर सके हैं परन्तु अध्यापक प्राचीन रीति पर आप ही उनको लेख लिखने का अभ्यास ध्यान रखते हैं लेख लिखाने की ओर ध्यान नहीं करते यद्यपि पुस्तक से और इस से बहुत कुछ सम्बन्ध है और कुछ भी नहीं है लेख

लिखना प्रति दिवस के कार्य के निमित्त एक ऐसा पदार्थ है कि यदि सौ दो सौ शब्द उसके याद हो जाँय तो उन्हीं के उलट फेर से सारा कार्य संसार भर का निकल सक्ता है लिखना स्पष्ट हो जाना चाहिये और उन शब्दों का ध्यान रहे कि यहाँ यह पद होना उचित है यह दोनों बातें यदि बीस वर्ष भी पुस्तक कोई मनुष्य पढ़े जाय और लिखने का अभ्यास न करे तो किसी प्रकार नहीं प्राप्त हो सक्तीं और यही कारण है कि पाठशाला के लड़के शिक्षालय त्यागने पर अत्यन्त अनूठे होते हैं और लेश मात्र भी अपने माता पिता को अपना परिश्रम और शिक्षा का फल नहीं दिखा सक्ते जिस से उनको बेदिली और पाठशाले का निरादर होता है-यदि दश रुपये की रसीद या एक पत्री अथवा अरज़ दुरसाल तहसीलदार के नाम लिख दे तो उसका माता पिता इस बात को उसके परिश्रम का फल ध्यान करके बहुत प्रसन्न हो परन्तु बड़े आश्चर्य की बात है कि न यह बातें पाठशाला में सिखाई जाती हैं और न पाठशाला छोड़ कर देहात में उसको दूसरी जगह प्राप्ति करने का समय मिलता है वस्तुतः यदि

देहात में कुछ शिक्षा कार्य के वास्ते दुरिवया किसानों के निमित्त है तो यही लेरव का लिरवना और घसीट अथवा कैथी का पढ़ना और उसके पीछे हिसाब भी है अगर यह लड़कों को भली भाँति न सिरवाया गया तो उन का सम्पूर्ण समय व्यर्थ गया और देहातियों को पाठशाले का निरादर पैदा किया-

दफ़ा ७०- चतुर्थ वर्ग में भरती होते ही विद्यार्थियों को छोटी २ चिट्ठियाँ और सब प्रकार की पत्री लिरवने का अभ्यास कराना चाहिये - रसीद अरज़ दुरसाल की अभ्यास डलार्दू जाय यह न ध्यान करना चाहिये कि उन को बुद्धि तो है नहीं क्योंकर लिरवेंगे लिरवना चित्र बनाना है इस में हाथ के अभ्यास का काम है पढने में बुद्धि का काम है यह दोनों पदार्थ अलग हैं देहात में लड़कों को काम के योग्य दुरादा और ध्यान रखना चाहिये इनको बहुतसी पुस्तकें पढ़ जाना अथ-वा भट्टाचार्य हो जाना इनके लिये कुछ लाभ दायक न होगा - लिरवने में अक्षर स्पष्ट हों कई प्रकार की लिरवावट जानते हों उसकी आवश्यकता के शब्द उन को याद हों यह सब बातें लिरवने के अभ्यास से प्राप्त हो सक्ती हैं न कि पुस्तक के पढ़ने से यह सच है कि जितना विद्या में निपुण होगा उतने ही लिरवना अच्छा

होगा परन्तु उत्तमता के आशय में आवश्यक कार्य हाथ से क्यों दिया जाय और उत्तम शिक्षा का समय उन को कहां से दिया जाय केवल विद्यारम्भ अथवा गुटका के पढ़ने से बुद्धि तीव्र नहीं हो सक्ती फिर क्यों लेखन की और जो कि अवश्यक पदार्थ है कम ध्यान हो-

दफ़ा ७१- तृतीय वर्ग में व्योहार पत्र सङ्ग्रह और घसीट पढ़ना सिखाया जाय विशेष कर रेहन्नामा, तमस्सुक, फ़ारखती, मुचिलका, सरखत, अरज़दाश्त, पट्टा, क़बूलियत, माल, और हाज़िर ज़ामनी, मुख़्तारनामा, निवेदनपत्र, परवाना, यह सब पदार्थ सिखाना उचित है-

दफ़ा ७२- लेखन काग़ज़ और कापी पर लिखवना अच्छा है इस के अनन्तर पट्टी पर परन्तु सिलेट पर कभी न लिखें हिन्दी पढ़ने के निमित्त कैथीपत्रमाला और व्योहार पत्र सङ्ग्रह हैं घसीट पढ़ने के निमित्त मकतूब अहमदी और कागज़ातकारवार्द्द उर्दू में विद्यमान हैं इन के अतिरिक्त यदि सम्मन, तमस्सुक और इश्तिहार इत्यादि कहीं से मिल जावें तो उन को लड़कों से पढ़वाना चाहिये-

प्रत्येक वर्ग की शिक्षा का नियम

अन्त का वर्ग अर्थात् सप्तम कि यह

पाठशाले की जड़ है यदि इसकी दृढ़ता रहेगी तो पाठ शाले की नेव कभी बिगड़ने न पावेगी - यह बात भली भाँति सूचित हुई है कि जहाँ के अध्यापक इस बर्ग की ओर ध्यान रखते हैं वहाँ कभी पाठशाला में विघ्न नहीं होता चौदह २ बर्ष से अवध मराडली में वे पाठशाले जहाँ के अध्यापक को इसकी ओर ध्यान है एक दशा में चले जाते हैं -

दफ़ा ७४ - इस बर्ग के पढ़ाने का सब से उत्तम नियम यह है कि प्रथम लड़कों को पुस्तक न दे काली पट्टी पर अक्षर लिख के याद कराये और वही अक्षर पट्टी पर लिखवाये और बताता जाय यह न हो कि जैसा देखा गया है कि लड़के उलटे सीधे जिस प्रकार उन की समझ में आता है लिखा करते हैं - बहुत हुआ अध्यापक को पट्टी दिखवाई गई - कोई उन को क़लम की फेर और शुद्धाक्षर नहीं बताता इस से व्यर्थ लिखने की प्रकृति पड़जाती है जब सब अक्षर याद हो जाँय तब बारह खड़ी और युक्ताक्षर लिखवाया जाय और गिन्ती १०० तक लिखवाई जाय - स्वच्छ और अक्षर अलग २ लिखने का ध्यान इसी बर्ग से हो प्रत्येक समय लड़के काम में उपस्थित रहैं नहीं तो सबसे यह न सधा भ्रष्ट जाते हैं और बहुत कोलाहल करते हैं यदि काम में तत्पर

रहैंगे तो उन का समय व्यर्थ न जायगा जब युक्ताक्षर समाप्त हो जाँय तो पुस्तक दी जाय और जितना पुस्तक में पढ़ें उतना प्रति दिन पट्टी पर दश पाँच बार लिखवें यदि एक घराटा पढ़ें तो अक्षर और अंकगणित चार घराटा सीखवें-

काले पाट पर नाना प्रकार के अक्षर और युक्ताक्षर लिखवा २ के उन से पूछे जाँय इसी प्रकार गिन्ती लिखवें और लिखवाई जाय अ,इ,उ का शुद्ध उच्चारण बताया जाय - नाना प्रकार के शब्द और उन के निमित्त जो अक्षर नियत हैं उन का रूप उनके चित्त में जमाया जाय युक्ताक्षर पूछे जाँय काले पाट पर शब्द लिखवा के पूछे जाँय शब्दों की मिलावट पूँछी जाँय जितना समझाने की आवश्यकता हो उन को अध्यापक समझाये उसके पश्चात् वह मुख्य अध्यापक अथवा नायब या मानीटर के द्वारा वह अभ्यास करें- पिछले पढ़े हुये में प्रति दिन अथवा दूसरे दिन उन की परीक्षा हुआ करे-

षष्ठवर्ग

दफ़ा ७५- षष्ठ वर्ग की शिक्षा सप्तम वर्ग की शिक्षा के निकट होनी उचित है पुस्तक के पद को कण्ठाग्र इमला की तौर उन से लिखवाये जाय पहाड़े कण्ठाग्र

याद कराये जाँय सवैया, डेवढ़ा, पौना, सिखवाया जाय.

पञ्चमवर्ग

दफ़ा ७६- इमला पुस्तक से शुद्ध और स्पष्ट लिखवाया जाय वर्ग में लड़के पाठ बराबर पढ़ें कक्षा बाँध के पाठ सुनायें नम्बर दिये जाँय प्रत्येक शब्द के अर्थ पूंछे जाँय पाठ उन से आप ही लिखवाया जाय शब्दों और ललित का ध्यान रहे -

चतुर्थवर्ग

दफ़ा ७७- अंक गरिणत और लिखने का अभ्यास अधिक कराया जाय पत्रादि लिखने की प्रकृति आरम्भ कराई जाय विद्यार्थी के अभिप्राय जो आश्चर्य्यित हैं यथा सूर्य के किरणों के रंग उन की निश्चय लड़कों के चित्त में कराई जाय कि वह व्यर्थ न ध्यान करें - कभी २ वे पढ़ी पुस्तक अथवा पाठ उन को दिया जाय कि अपनी बुद्धि से उन को निकालें-

तृतीयवर्ग

दफ़ा ७८ - नाना प्रकार की वाक्यों पर लेख लिखवाया जाय पढ़ने की पुस्तकों के अतिरिक्त ऊपरी २ वर्णन दूसरी पुस्तकों से और प्रश्न प्रत्येक पुस्तक से विशेष कर अंक गरिणत के उनकी कापी पर लिखवा दिये जाँय भाँति २ की पुस्तकों से उनको वाक्य

सुनाई जाँय और उन से पढ़वाई जाँय बारी २ लड़के पढ़ें परन्तु अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना उचित है कि उन को जाँचते रहैं कि वह अपनी बुद्धि को कितनी व्यय करसके हैं जो प्रबल पायें तो उनको वर्णन करने का नियम बतायें - जहाँ वह अशुद्धता करें उन को ठीक करते जाँय जहाँ तक होसके नीचे के वर्गों की अंक गणित की पढ़ी यदि तृतीय वर्ग के लड़के किसी अवश्य कार्य में न लगे हों तो उनको सिखाई जाँय कि वह उत्तर निकालें इस से उन को अधिक अभ्यास होगा और बुद्धि तीव्र होगी-

दफ़ा ७९- प्रत्येक वर्ग की शिक्षा का समय जनवरी से दिसम्बर पर्य्यन्त नियत किया गया है और परीक्षा जनवरी से आरम्भ होती है अतएव उचित है कि दिसम्बर मास के अन्त सप्ताह को नीचे की वर्ग के विद्यार्थी उच्च वर्ग में चढ़ाये जाँय कि शिक्षा का कार्य्य आदि वर्ष से अन्त वर्ष पर्य्यन्त समाप्त होजाय-

दफ़ा ८०-नियत परीक्षा के अतिरिक्त जो सर्विप्रते-तालीम के पाठशालाध्यक्ष इत्यादि लिया करते हैं एक परीक्षा कराठाग्र प्रति वर्ष तृतीय मास के अन्त में प्रत्येक पाठशाला के पञ्चम और तृतीय वर्ग की हुक्का करेगी पञ्चम वर्ग की परीक्षा लोअर प्राइमरी

और तृतीय की ऊपर प्राइमरी के नाम से परिख्यात है - डिपुटी इन्स्पेक्टर की आज्ञानुसार यह परीक्षा दो दो चार २ पाठशालाओं की एक स्थान पर होगी और पाँचवीं परीक्षा लिखने के द्वारा होगी - तृतीय वर्ग में जो विद्यार्थी पास होंगे उनको सनद मिलेगी -

(ग) इस परीक्षा के पश्चात् पञ्चम वर्ग के लड़के चतुर्थ वर्ग में चढ़ाये जाँयगे - यदि कोई लड़का पञ्चम वर्ग का इस परीक्षा में दूसला अथवा पढ़ने में या दोनों में फेल हो जाय और डिपुटी इन्स्पेक्टर उसको चढ़ने के योग्य समझेंगे तो चतुर्थ वर्ग में वह लड़का चढ़ाया जायगा परन्तु जो विद्यार्थी अंकगणित में फ़ेल हो जाय वही किसी प्रकार चतुर्थ वर्ग में न चढ़ाया जायगा क्योंकि अंकगणित की कच्चाई ऊपर के वर्गों में बहुत विघ्न उत्पन्न करती है -

(घ) तीसरी वर्ग में जिस लड़के को सनद मिल जाय उसका नाम पाठशाला से निकाल देना उचित है परन्तु यदि वह तृतीय भाषा में परीक्षा देकर सनद प्राप्त करना चाहे तो (अर्थात् जो विद्यार्थी उर्दू जानता हो नागरी में और नागरी वाला उर्दू में) उसका नाम एक वर्ष और रजिस्टर में रक्खा जाय -

(ङ) जो लड़का तृतीय वर्ग का फ़ेल हो जावे तो

उसको एक वर्ष और पाठशाला में रहने की आज्ञा दी जाय जिसमें वह सनद प्राप्त कर सके इसी प्रकार जो द्वितीय भाषा की परीक्षा में वह प्रथम वर्ष पास न होतो उसको भी एक वर्ष की आज्ञा और दी जावे इसके विपरीत किसी लड़के को उक्त वर्ग में रखना अध्यापक के निवेदन और डिपुटी इन्स्पेक्टर की आज्ञा और उस लड़के की हाज़िरी और अभ्यास के आधीन है-

(८) इन्हीं लड़कों में से सब से अधिक बुद्धि के दश बीस लड़कों को डिपुटी इन्स्पेक्टर सदर में किसी तारीख़ को वज़ीफ़ा के निमित्त युक्त करेंगे इस परीक्षा में जिस के नम्बर अधिक आवेंगे उनको वज़ीफ़ा मिलेगा-

हरिगीतिकाछन्द

ग्रह लोक नन्दरु चन्द सम्वत भूप विक्रम जानिये
बार शनि तिथि पूर्णिमा है मास कार्तिक मानिये॥
युग्म अरु वसु नाग शशि यह ईसवी सन मानिये
ग्रन्थ यह पूरण भयो पच्चिस नवम्बरजानिये।१।

इति

	नम्बर शुमार	रजिस्टर दाख़िला तुलबाए मदर्सा
	नाम तालिबइल्म	
	उम्र	
	नामावली	
	पेशावली	
	क़ौम	
	सकूनत	
	तारीख़दाख़िल होने की	
	दफ़ाजिसमेंदाख़िलहुआ	
	तारादफ़ीस जोबाँधीगई	तहसीली
	तारीख़मदर्सा छोड़नेकी	
	दफ़ाजिसमेंसे ख़ारिजहो	
	वजहमदर्सा छोड़नेकी	
	अय्याम तालीमतुलबा	तालीमी
	कैफ़ियत	मुलाहिज़ा

जिला ..... तहसील ..... सन् १९२ ई० से १९२ ई० तक

प्रेसिडेन्सी, म्यूनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पाठशालाओं के अध्यापकों की मासिक तनख्वाह

क्रम संख्या	अध्यापक का नाम	पाठशाला का नाम	अध्यापक की योग्यता	अध्यापक की श्रेणी	अध्यापक का वेतन	अध्यापक की उपस्थिति	अध्यापक की अनुपस्थिति	अध्यापक की छुट्टी	अध्यापक का दण्ड	अध्यापक का पुरस्कार	अध्यापक की टिप्पणी

नमूना

नम्बर ३ ज़रूरत कुतुब मदरसी

नहसील ज़िला

तारीख़ कुतुब मतलूबा	नाम किताब	किताब				
		तादाद किताब	तादाद वसूल	क़ीमत फ़ीजिल्द	क़ीमत कुल	

तारीख़ रसीद किताब मज़कूरः

दस्तख़त मुदर्रिस

किताब मुन्दर्जः बाला तारीख़ या महीना की बाला पर दस्तख़त करके भेजा करें

दस्तख़त मुदर्रिस

माह सन् १९ ई॰ सुपरिंटेंडिंगी इन्सपेक्टर साहब मदारिस ज़िले चरखारी

वाज़ेह हो कि जब मुदर्रिस किताबें मंगाना चाहें तो १५ तारीख़ या महीना की बाला पर इस दरख़ास्त को करके भेजा करें किताबें महीं से साथ इस नक़्शह के भेजी जायगी फिर मुदर्रिस मज़कूर नीचे के ख़ाने पर दस्तख़त करके वापस करदें॥

शिक्षक प्रबन्ध-१०

विभागित समय का चित्र

वर्ग	समय	सोमवार	मंगल	बुध	बृहस्पति	शुक्र	शनिश्चर	कैफ़ियत
तृतीय	७							
	८							
	९							
	१०							
	११							
	१२							
चतुर्थ	७							
	८							
	९							
	१०							
	११							
	१२							
पंचम	७							
	८							
	९							
	१०							
	११							
	१२							
षष्ठ	७							
	८							
	९							
	१०							
	११							
	१२							
सप्तम	७							
	८							
	९							
	१०							
	११							
	१२							

पाठशाला से तृतीय व चतुर्थ वर्ग पढ़के जो विद्यार्थी पाठशाला छोड़ते हैं उसका सूचीपत्र

नम्बरों की गराना	मास सन् सहित	नाम विद्यार्थी की	कितने समय तक शिक्षा पाई	किस वर्ग से पाठशाला त्याग किया	अवस्था	कैफ़ियत इस कार्य की कि पाठशाला त्यागने के पश्चात् कौन कार्य करता है और पाठशाला छोड़ने का कारण—	नम्बरों की गराना	मास सन् सहित	नाम विद्यार्थी की	अवस्था	कितने समय तक शिक्षा पाई	किस वर्ग से पाठशाला त्याग किया	कैफ़ियत इस कार्य की कि पाठशाला त्यागने के पश्चात् कौन कार्य करता है और पाठशाला छोड़ने का कारण

अध्यापकों को उचित है कि प्रथम से अर्थात् जब से पाठशाला नियत हो जै लड़कों ने पाठशाला तृतीय वो चतुर्थ वर्ग से छोड़ा हो उनके नाम इस नक़्शा में भरके और उस काग़ज़ को उसी तरह़ा परजमा के पाठशाला में लटका दे और नम्बरों की गराना प्रत्येक वर्ष में बदल जाया करेगी और वर्ष का हिसाब अप्रैल से मार्च तक होगा—

सर्कारी बस्तुओं का सूची पत्र पाठशाला तहसील ज़िला

नम्बरों की गणना	बस्तु का नाम	मूल्य	प्राप्त होने की तारीख़	किस के द्वारा	कैफ़ियत	नम्बरों की गणना	बस्तु का नाम	मोल्य	प्राप्त होने की तारीख़	किस के द्वारा	कैफ़ियत

शिक्षा

पाठकों को उचित है कि यह सूची पत्र स्वच्छता और प्रबन्ध के साथ अपने पाठशाला में लटका रक्खें और कभी २ जो बस्तु सरिश्ते से पहुँचा करें उसी समय सूची पत्र में लिख लो जायँ और जिस पदार्थ में हानि आवे उसको कैफ़ियत के घर में लिख दिया करें और सदैव दौरे के समय डिपुटी इन्स्पेक्टर को यह सूची पत्र दिखला दिया करें और जिस समय कोई अध्यापक दूसरे मनुष्यों को चारज देते रिपोर्ट पर लिख दें कि जो बस्तु सूची पत्र में लिखा है हमने पाया-इति

नक़्शा ख़ारिज तालिबइल्म मदरसा तहसील ज़िला बाबत माह सन् १८८ ई०

नम्बर दफ़ा	नाम तालिबइल्म जो ख़ारिज हुये	अय्याम तालीम दर्जमीयान-तालीम	वजह इख़राज वजः दूरराज	कैफ़ियत

हिदायत

वाज़ेह रहे कि जिस रोज़ महीना ख़तम हो उसी दिन नक़्शा हाज़ा की ख़ाना पुरी करके और एक नक़ल उस की अपने यहां रखके उसी रोज़ रवाना एकम तारीख़ माह आइन्दा को जिस तरह मुमकिन हो अपने क़रीब के डाक ख़ाना में पहुंचा दिया करें और नक़्शा माह मार्च - जून - सितम्बर - दिसम्बर के हमराह २५ तारीख़ को ख़ाना पुरी की जाया करे अगर इन चारों नक़्शों के भेजने में देर होगी तो वह मुस्तवजिब जुर्माना होगा -

					ख़ास
					विच्छ
					विच्छ
					जोड़

तफ़स

ने के लिस क़दर तालिब दूल्स
वान: में लिखी जावे यह न हो
मार किया जावे जैसे महीने
ड़के उस महीने में और भरती
तीस लड़कों के नाम लिखे
ो कुछ मतलब नहीं है सि
के रहें उन्हीं की तफ़सील लिखी

